भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

फाइल सं. 6/11/2022-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
व्यापार उपचार महानिदेशालय
जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली

दिनांक: 29 सितंबर, 2023

अंतिम जांच परिणाम
(मामला संख्याः ए डी (ओआई) -11/2022)

विषय: चीन जन.गण. और ओमान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कम से कम एक ओर से लेमिनेशन वाले जिप्सम बोर्ड/टाइलों " के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

क. मामले की पृष्ठभूमि

फाइल सं. 6/11/2022-डीजीटीआर: समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे "अधिनियम" कहा गया है) तथा उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण एवं क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे यहां आगे "नियमावली" भी कहा गया) को ध्यान में रखते हुए:

1. मैसर्स सेंट-गोबेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे यहां आगे "आवेदक" "घरेलू उद्योग" अथवा "डीआई" कहा गया है) ने चीन जन.गण. और ओमान (जिन्हें यहां आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) से चीन जन.गण. अथवा ओमान से "कम से कम एक ओर से लेमिनेशन वाले जिप्सम बोर्ड/टाइलों" (जिन्हें यहां आगे 'संबद्ध सामान' अथवा 'विचाराधीन उत्पाद अथवा 'पीयूसी' भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए अधिनियम के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी(जिसे आगे यहां 'प्राधिकारी' भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन-पत्र दायर किया है।

2. जबकि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की ओर से आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने के लिए तथा पाटनरोधी शुल्क जो यदि लगाया जाए और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की राशि की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के अनुसार जांच शुरु करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक **30.09.2022** की अधिसूचना सं. **6/11/2022-डीजीटीआर** द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

3. संबद्ध जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

क) प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की ओर से आवेदक द्वारा संबद्ध देशों से कम से कम एक ओर से लेमिनेशन वाले जिप्सम बोर्ड/टाइलों के पाटन का आरोप लगाते हुए एक लिखित आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ।

ख) प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच शुरु करने की कार्यवाही से पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।

ग) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर, 2022 की सार्वजनिक सूचना जारी की।

घ) प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति और आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार अन्य घरेलू उत्पादकों को भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें।

ड) भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।

च) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी:

(i) ग्लोबल जिप्सम बोर्ड कंपनी एल.एल.सी
(ii) ड्रीम ब्रांड न्यू मैटिरियल (पिंगयि) कंपनी लिमिटेड
(iii) लिनयि ऐक्सल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट
(iv) जोनमे बिल्डिंग मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड
(v) शिजियाहुआंग डायन यु इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड

छ. संबद्ध देशों के निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए गए हैं:

(i) ग्लोबल जिप्सम बोर्ड कंपनी एल.एल.सी
(ii) ड्रीम ब्रांड न्यू मैटिरियल (पिंगयि) कंपनी लिमिटेड
(iii) लिनयि ऐक्सल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट
(iv) शिजियाहुआंग डायन यु इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड

ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी:

i. किंग्सटन मल्टी प्रोड्क्टस इंडिया (प्रा.) लिमिटेड
ii. आर के सीलिंग (प्रा.) लिमिटेड
iii. कंप्लीट सीलिंग इंटीरियर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
iv. डायमंड इंटरनेशनल इनेक्स प्राइवेट लिमिटेड
v. जिपेक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
vi एमडीजी इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड

vii. सैम जिप्सम प्राइवेट लिमिटेड

viii. यूनिवर्सल इंटरप्राइजेज

ix. वरणी एल्युमिनियम

x. ए टू जेड सीलिंग प्रोडक्ट्स

xi. श्री मीनाक्षी मार्केटिंग

xii. नैचुरल स्टोन इंडस्ट्रीज

xiii. श्री साईबाबा इम्पैक्स

xiv. विकास ट्रेडिंग कंपनी

xv. एडोम

xvi. जोजो इंटरप्राइजेज

xvii. ठाकर ब्रादर्स

xviii. टोडी प्लाईवुड्स

xix. प्रेक्षा इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड

xx. रॉयल इंटरप्राइजेज

xxi. रॉकस्ट्रेन्थ वर्ल्ड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

xxii. अंडर दि रूफ

xxiii. श्री बालाजी ट्रेडर्स

xxiv. एरोटेक्स सीलिंग सिस्टम

xxv. ब्राइट इंटीरियर्स

xxvi. नौफ सीलिंग साल्युशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

xxvii. नौफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

झ. निम्नलिखित आयातकों ने जांच की शुरुआत की अधिसूचना का उत्तर दिया है:

i. किंग्सटन मल्टी प्रोड्क्टस इंडिया (प्रा.) लिमिटेड

ii. आर के सीलिंग (प्रा.) लिमिटेड

iii. कंप्लीट सीलिंग इंटीरियर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

iv. डायमंड इंटरनेशनल इनेक्स प्राइवेट लिमिटेड

v. जिपेक्सिम प्राइवेट लिमिटेड

vi एमडीजी इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड

vii. सैम जिप्सम प्राइवेट लिमिटेड

viii. यूनिवर्सल इंटरप्राइजेज

ix. वरणी एल्युमिनियम

x. ए टू जेड सीलिंग प्रोडक्ट्स

xi. श्री मीनाक्षी मार्केटिंग

xii. नैचुरल स्टोन इंडस्ट्रीज

xiii. श्री साईबाबा इम्पैक्स

xiv. विकास ट्रेडिंग कंपनी

xv. एडम

xvi. जोजो इंटरप्राइजेज

xvii. ठाकर ब्रादर्स

xviii. टोडी प्लाईवुड्स

xix. प्रेक्षा इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड

xx. रॉयल इंटरप्राइजेज

xxi. रॉकस्ट्रेन्थ वर्ल्ड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

xxii. अंडर दि रूफ

xxiii. श्री बालाजी ट्रेडर्स

xxiv. एरोटेक्स सीलिंग सिस्टम

xxv. ब्राइट इंटीरियर्स

xxvi. नौफ सीलिंग साल्युशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

xxvii. नौफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

ञ. यह भी नोट किया जाता है कि उपर्युक्त आयातकों में से निम्नलिखित ने आयातक प्रश्नावली के उत्तर दिए हैं:

i. सैम जिप्सम प्राइवेट लिमिटेड

ii. विकास ट्रेडिंग कंपनी

iii. आर के सीलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड

iv. डायमंड इंटरनेशनल इनेक्स प्राइवेट लिमिटेड

v. कंप्लीट सीलिंग इंटीरियर्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

vi एडम

vii. नौफ सीलिंग साल्युशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

ट. प्राधिकारी ने इ-मेल के माध्यम से विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य/अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया।

ठ. डीजी सिस्टम्स डाटा से पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के लेन-देनवार ब्यौरे उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया था, जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे। प्राधिकारी ने लेन-देनों की उचित जांच के बाद आयातों की मात्रा के परिकलन और उसके विश्लेषण के लिए उन पर विश्वास किया है।

ड. सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध III के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और निर्माण तथा बिक्री के आधार पर क्षति रहित कीमत ("एनआईपी") निर्धारित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

ढ. घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना के स्थल पर सत्यापन के माध्यम से भौतिक निरीक्षण झगडिया, गुजरात में स्थित उनके संयंत्र में किया गया था। निर्यातकों द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन प्राधिकारी द्वारा आवश्यक मानी गई सीमा तक किया गया था। प्राधिकारी उस सूचना पर विश्वास करते हुए यह प्रकटन विवरण जारी करते हैं।

ण. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (जिसे यहां आगे पीओआई कहा गया है) 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 (12 माह) है। क्षति विश्लेषण अवधि

में अप्रैल, 2018 - मार्च, 2019, अप्रैल, 2019- मार्च, 2020, अप्रैल, 2020 - मार्च, 2021 और जांच की अवधि शामिल है।

त. जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा साक्ष्य के साथ समर्थित सीमा तक किए गए अनुरोध और वर्तमान जांच में संगत माने गए अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम जांच परिणाम में उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।

थ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने, जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और वह सूचना गोपनीय मानी गई है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को यह निर्देश दिया गया था कि दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।

द. जहां कहीं, किसी हितबद्ध पक्षकार ने सूचना देने से इंकार किया है अथवा अन्यथा जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना नहीं दी है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मामले की जांच की है।

ध. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने 5 जुलाई, 2023 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर दिया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने और उसके बाद प्रत्युत्तर यदि कोई है, अनुरोध दायर करने का अनुरोध किया गया था।

न. इस प्रकटन विवरण में *** गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा दी गई सूचना और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

प. नियमों के नियम 16 के अनुसार, जांच के आवश्यक तथ्यों को दिनांक 20.09.2023 के प्रकटीकरण विवरण के माध्यम से ज्ञात इच्छुक पार्टियों को बताया गया था और

उस पर प्राप्त टिप्पणियों, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक माना गया था, को इन अंतिम निष्कर्षों में संबोधित किया गया है। प्राधिकरण नोट करता है कि इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रकटीकरण के बाद किए गए अधिकांश अनुरोध उनके पहले के अनुरोधों की पुनरावृत्ति मात्र हैं। हालाँकि, इन अंतिम निष्कर्षों में प्रासंगिक समझी जाने वाली सीमा तक प्रकटीकरण के बाद की प्रस्तुतियों की जांच की जा रही है।

फ. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर=75.34 रुपए है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) और समान वस्तु</u>

4. जांच की शुरुआत के स्तर पर विचाराधीन उत्पाद निम्नलितखित रूप में परिभाषित किया गया था:-

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "कम से कम एक ओर से लेमिनेशन वाले जिप्सम बोर्ड/टाइलें" है। एक ओर लेमिनेशन के लिए टिपिकली, पीवीसी, वैक्स पेपर और अन्य समान सामग्री का प्रयोग किया जाता है। मेटलाइज्ड पोलिएस्टर फिल्म जैसी सामग्री का प्रयोग नमी रोकने के लिए अनिवार्य रूप से दूसरी ओर किया जाता है।

5. संबद्ध सामान पर्यावरण के अनुकूल, हल्के, उच्च गुणवत्ता वाले सजावटी सीलिंग टाइल्स हैं जो अग्निरोधक भी हैं। संबद्ध सामान ऑडिटोरियम, कान्फ्रेंस रूम और शैक्षणिक संस्थाओं, कार्यालयों, बुटीक, दुकानों, वाणिज्यिक और आवासीय भवनों आदि में सीलिंग के लिए पूर्व प्रभावी रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। संबद्ध सामान पीवीसी जिप्सम टाइल्स, जिप्सम सीलिंग टाइल्स, सीलिंग टाइल्स आदि के रूप में भी जाने जाते हैं। पीवीसी लेमिनेटेड जिप्सम सीलिंग टाइल्स मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली होती हैं।

6. आवेदक ने अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के उप शीर्ष 68069000, 68080000, 6809110, 68091900 और 68099000 के तहत अध्याय 68 के तहत वर्गीकृत हैं। तथापि, आवेदक ने दावा किया है कि कुछ आयात सीमा प्रशुल्क शीर्ष 70195900 और 73083000 के तहत भी किए जाते हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह उत्पाद क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

ग.1 <u>उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:-

क. इस संबंध में स्पष्टीकरण अपेक्षित है कि क्या मिनरल फाइबर साउंड-अबजोर्बिंग शीट्स वर्तमान जांच की शुरुआत में शामिल हैं अथवा नहीं।

ख. विचाराधीन उत्पाद में जिप्सम बोर्ड से बनाई गई केवल सीलिंग टाइलें शामिल हैं और कम से कम एक ओर उन पर लेमिनेशन है।

ग. ओमान सल्तनत सरकार ने प्राधिकारी से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से एचएस कोड 68091100 को हटाने का अनुरोध किया है क्योंकि वह एक साइड से लेमिनेटेड जिप्सम बोर्ड/सीलिंग टाइलों से संबंधित ही नहीं है। इस एचएस कोड में भिन्न जिप्सम उत्पाद हैं जो आयात और क्षति विश्लेषण की भ्रामक तस्वीर बना सकते हैं।

ग.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

क. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "कम से कम एक ओर से लेमिनेशन वाले जिप्सम बोर्ड/टाइलें" है। एक ओर लेमिनेशन के लिए टिपिकली, पीवीसी, वैक्स पेपर और अन्य समान सामग्री का प्रयोग किया जाता है। मेटलाइज्ड पोलिएस्टर फिल्म जैसी सामग्री का प्रयोग नमी रोकने के लिए अनिवार्य रूप से दूसरी ओर किया जाता है। पीवीसी लेमिनेटेड जिप्सम सीलिंग टाइल्स मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली होती हैं।

ख. संबद्ध सामान पर्यावरण के अनुकूल, हल्के, उच्च गुणवत्ता वाले सजावटी सीलिंग टाइल्स हैं जो अग्निरोधक भी हैं। संबद्ध सामान ऑडिटोरियम, कान्फ्रेंस रूम और

शैक्षणिक संस्थाओं, कार्यालयों, बुटीक, दुकानों, वाणिज्यिक और आवासीय भवनों आदि में सीलिंग के लिए पूर्व प्रभावी रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं।

ग. एक हितबद्ध पक्षकार ने उत्पाद क्षेत्र के और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता के संबंध में अनुरोध दायर किए थे। इस संदर्भ में यह अनुरोध है कि उपर्युक्त स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया है क्योंकि केवल विचाराधीन उत्पाद कोई जिप्सम में से उत्पादित संबद्ध सामान माना गया न कि अन्य सामग्री को।

घ. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संबद्ध सामानों में नॉन-लेमिनेटेड जिप्सम बोर्ड शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त परफोरेटेड टाइल्स और जिप्सम से न बनाई गई टाइलों की अन्य किस्में विचाराधीन उत्पाद और जांच के क्षेत्र के बाहर हैं। चूंकि उपर्युक्त टाइलें विचाराधीन उत्पाद का भाग नहीं हैं, अत: विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से उन्हें बाहर करने के संबंध में कोई टिप्पणी अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता।

ड. यह अनुरोध है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामान समान वस्तु हैं। संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध सामानों और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामानों के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामान भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, निर्माण प्रक्रिया और प्रौद्यागिकी, प्रकार्य और प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत और वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसीलिए नियमावली के तहत 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए।

ग.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

7. वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद "कम से कम एक ओर से लेमिनेशन वाले जिप्सम बोर्ड/टाइलें" है। संबद्ध सामान पीवीसी जिप्सम टाइल्स, जिप्सम सीलिंग टाइल्स, सीलिंग टाइल्स आदि के रूप में भी जाने जाते हैं। एक ओर लेमिनेशन के लिए टिपिकली, पीवीसी,

वैक्स पेपर और अन्य समान सामग्री का प्रयोग किया जाता है। संबद्ध सामान पर्यावरण के अनुकूल हल्के, उच्च गुणवत्ता की सजावटी सीलिंग टाइलें हैं जो अग्निरोधक भी हैं। संबद्ध सामान ऑडिटोरियम, कान्फ्रेंस रूम और शैक्षणिक संस्थाओं, कार्यालयों, बुटीक, दुकानों, वाणिज्यिक और आवासीय भवनों आदि में सीलिंग के लिए पूर्व प्रभावी रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं।

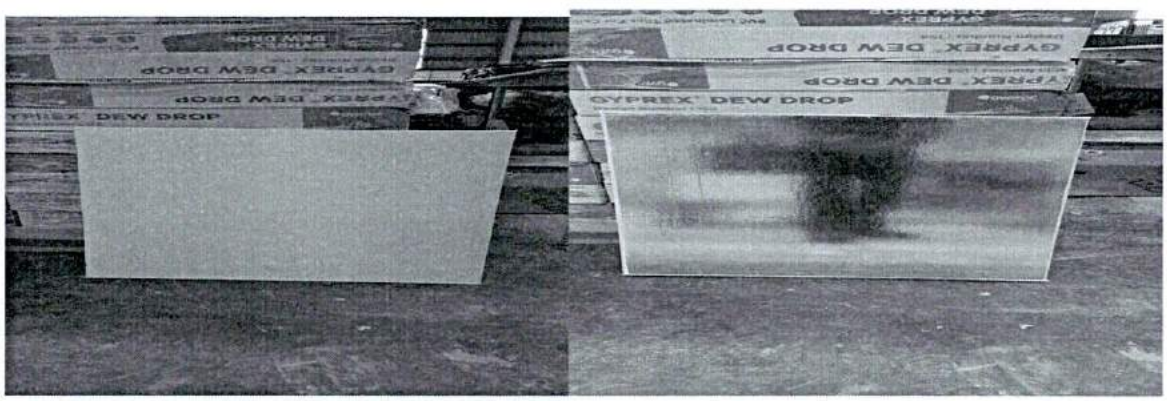

8. संबद्ध सामान अध्याय शीर्ष 68 के तहत वर्गीकृत है। विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के उप शीर्ष 68069000, 68080000, 6809110, 68091900 और 68099000 के तहत अध्याय 68 के तहत वर्गीकृत हैं। तथापि, आवेदक ने दावा किया है कि कुछ आयात सीमा प्रशुल्क शीर्ष 70195900 और 73083000 के तहत भी किए जाते हैं। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

9. मिनरल फाइबर बोर्ड से संबंधित वर्गीकरण के लिए अनुरोध के संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा परिभाषित संबद्ध सामान स्पष्ट रूप से बताते हैं कि विचाराधीन उत्पाद में नॉन-लेमिनेटेड जिप्सम बोर्ड शामिल नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, परफोरेटेड टाइल्स और जिप्सम से न बनाई गई टाइलों की अन्य किस्में विचाराधीन उत्पाद और जांच के क्षेत्र से बाहर हैं।

10. 'समान वस्तु' की परिभाषा संबंधित नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार यह निर्धारित है कि 'समान वस्तु' का अर्थ उस वस्तु से है कि भारत में पाटित की जा रही वस्तु अथवा उस वस्तु के अभाव में जांच के तहत वस्तु के समान हर तरह से समान अथवा तरह है, जो यद्यपि, सभी दृष्टि से असमान अन्य वस्तु है और जिसमें जांच के तहत वस्तुओं की उनसे निकट समानता की विशेषताएं हैं।

11. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। भारतीय घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, वितरण एवं विपणन और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में आयातित संबद्ध उत्पाद से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर रहे हैं।

12. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से एचएस कोर्ड 680911000 को हटाने के संबंध में ओमान सल्तनत सरकार के अनुरोध के संबंध में यह नोट किया जाता है कि प्रशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है। शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जाएगा। अत:, विचाराधीन उत्पाद को छोड़कर अन्य सामानों पर यदि एचएस कोड 680911000 के तहत आयातित न किए जाने पर भी शुल्क नहीं लगेंगे।

13. इस प्रकार, प्राधिकारी का यह निर्धारित करता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद नियमावली के अनुसार संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है।

घ. <u>घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार</u>

घ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

14. घरेलू उद्योग और उसके आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. भारत में संबद्ध सामानों के दो और उत्पादक अर्थात् जिपटेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और इंडियन जिप्सम प्राइवेट लिमिटेड हैं, जो उस अवधि से पूर्व संबद्ध सामानों का उत्पादन कर रहे हैं जब आवेदक ने संबद्ध सामानों का उत्पादन आरंभ किया। अत:, आवेदक उद्योग संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक नहीं कहा जा सकता।

ख. अनुरोध है कि चूंकि आवेदक द्वारा बताए गए अन्य उत्पादक जांच की अवधि के दौरान अस्तित्व में थे, अत: यह तथ्य कि उन्होंने क्षति का सामाधान करने के लिए प्राधिकारी से संपर्क नहीं किया है, सिद्ध करता है कि उन्हें कोई क्षति नहीं हो रही है।

ग. यह अनुरोध है कि भारत में संबद्ध सामानों के कई उत्पादक हैं और इसीलिए घरेलू उद्योग संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक होने का दावा नहीं कर सकता। आवेदक नियम नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग बनने और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार बनाने में भी विफल है।

घ.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

15. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में जांच प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

क. वर्तमान आवेदन पत्र मैसर्स सेंट गोबैन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसजीआईपीएल) द्वारा दायर किया गया है जो जांच की अवधि के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है। यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग ने अक्तूबर, 2020 में अपने झगडिया संयंत्र में उत्पादन शुरु किया।

ख. यह भी अनुरोध है कि एसजीआईपीएल के अलावा, संबद्ध सामानों के दो अन्य उत्पादक अर्थात् एशियाटिक जिप्सम और फोरलाइन जिप्लान हैं। तथापि, दोनों उत्पादकों ने अपना उत्पादन जांच की अवधि के बाद शुरु किया। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार दोनों उत्पादकों ने संबद्ध देशों से अत्यधिक पाटन के कारण उत्पादन अस्थाई रूप से रोक दिया है।

ग. संबद्ध सामानों के दो अन्य उत्पादकों की मौजूदगी के संबंध में यह अनुरोध है कि घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार दोनों उत्पादक संबद्ध सामानों का उत्पादन नहीं कर रहे हैं और मात्र उनके व्यापारी हैं। इसके अतिरिक्त, जिप्टेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड चीन से संबद्ध सामानों का आयात कर रहा है।

घ. आवेदक ने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक अथवा भारत में किसी आयातक से संबद्ध हैं और इस प्रकार, नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग हैं।

घ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

16. नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैः

"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

17. आवेदन पत्र मैसर्स सेंट गोबैन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसजीआईपीएल) द्वारा दायर किया गया है जो जांच की अवधि के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है। यह भी नोट किया जाता है कि उन्होंने अक्तूबर, 2020 में अपने झगडिया संयंत्र में संबद्ध सामानों का उत्पादन आरंभ किया है।

18. घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि जांच की अवधि के बाद दो अन्य उत्पादकों अर्थात एशियाटिक जिप्स और फोरलाइन जिप्लान ने उत्पादन आरंभ किया था और अपने प्रचालन अस्थाई रूप से बंद भी किए हैं। इस संबंध में प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों के दोनों उत्पादकों को पत्र भेजे। तथापि, उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

19. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि जिप्टेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और इंडियन जिप्सम प्राइवेट लिमिटेड घरेलू उद्योग के वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने से पूर्व संबद्ध सामानों का उत्पादन कर रहे थे। इस संबंध में, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के अनुरोध को नोट किया है और दोनों कंपनियों को उनके संबद्ध सामानों के लिए प्रचालन, उत्पादन आदि से संबंधित संगत सूचना के लिए अनुरोध करते हुए लिखित पत्र भेजे। तथापि, प्राधिकारी को उनसे कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अत:, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई विश्वसनीय सूचना नहीं है कि क्या दोनों कंपनियां जांच की अवधि से पूर्व/उसके दौरान संबद्ध सामानों का उत्पादन कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, चूंकि प्राधिकारी को आवेदक उद्योग के तर्क का विरोध करने वाला कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ, अत: प्राधिकारी ने नियम 5(3) के अनुसार आधार के लिए मानदंड पूरा करने वाले नियम 2(ख) के अनुसार आवेदक उद्योग को घरेलू उद्योग बनने के लिए पात्र माना है।

20. आवेदक उद्योग ने यह भी प्रमाणित किया है कि उत्पादन शुरु करने के बाद आवेदक द्वारा अथवा उसके किसी संबद्ध पक्षकार द्वारा विचाराधीन उत्पाद के कोई आयात नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, वे भारत में संबद्ध सामानों के किसी आयातक से संबद्ध भी नहीं हैं।

21. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी आवेदक को नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग होने के लिए पात्र मानते हैं।

ड. <u>गोपनीयता</u>

ड.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

22. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. वर्तमान आवेदन पत्र में गोपनीयता का अत्यधिक प्रयोग किया गया है और आवेदक ने गोपनीयता के तहत कई आधारभूत सूचना में पहुंच से इंकार किया है।

ख. नियम 7 में किसी भी तरीके से यह अर्थ नहीं है कि घरेलू उद्योग न्यूनतम सूचना प्रदान कर सकता है; इसकी अपेक्षा इससे घरेलू उद्योग की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे पर्याप्त ब्यौरे में सार प्रस्तुत करें ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के सार की उपयुक्त समझ की अनुमति हो।

ग. कानून में यह उल्लेख है कि यदि प्राधिकारी यह पाते हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है और यदि सूचना देने वाला सूचना को सार्वजनिक करने का अथवा सामान्यीकृत रूप में उसका प्रकटन करने के प्राधिकार का अथवा सारभूत रूप में प्रकटन करने का प्राधिकार देने के लिए इच्छुक नहीं है तो प्राधिकारी उस सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

ड.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

23. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. आवेदक ने कब्जे में व्यापार सूचना सं. 10/2018 के तहत उल्लिखित अपेक्षाओं का पालन किया है और उपर्युक्त व्यापार सूचना के तहत अपेक्षित पूरी सूचना दी है। यह नोट करना व्यावहारिक है कि बेकार आरोप लगाते समय उत्तरदाता संगत व्यापार सूचनाओं के साथ पठित नियम 7 की अपेक्षाओं से किसी वास्तविक विचलन का उल्लेख करने में विफल रहे हैं।

ख. यह कि आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर को संशोधित करने अथवा गोपनीयता का दावा करने के कारण देने के लिए प्राधिकारी के निर्देश पर घरेलू उद्योग ने आवेदन पत्र का संशोधित अगोपनीय रूपांतर दायर किया है। तथापि, एक कमीपूर्ण उत्तर दायर करने के बावजूद अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अद्यतन अगोपनीय रूपांतर प्रचालित नहीं किया गया था।

ग. निर्यातकों ने घरेलू उद्योग के पास गोपनीयता का दावा ही नहीं किया है बल्कि उन्होंने प्राधिकारी से महत्वपूर्ण सूचना रोकी है। अत:, उनके उत्तरों को रद्द किया जाना चाहिए।

घ. निर्यातकों ने बिना किसी उचित औचित्य के अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। प्रश्नावली के उत्तर का अगोपनीय रूपांतर उचित कारण दिए बिना गोपनीय रूपांतर में निहित पूरी सूचना के लिए नहीं दिया गया है।

ड. माननीय न्यायालयों और अधिकरणों ने स्पष्ट रूप से माना था कि गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को दी गई सूचना को मात्र इसलिए गोपनीय माने जाने की

आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर दी है और उन्होंने गोपनीयता के दावों की जांच करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। इसके अतिरिक्त, यह माना गया है कि गोपनीयता पारदर्शिता को समाप्त करने अथवा विरोधी पक्षकारों के लिए विवशता बनाने के लिए प्रकटन से इंकार करने हेतु मात्र एक अस्त्र नहीं है। यह निर्धारित किया गया है कि पारदर्शिता के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वे अगोपनीय सार प्रस्तुत करने के लिए पक्षकारों से अपेक्षा करें जो गोपनीय रूप में प्रस्तुत सूचना के सार की उपयुक्त समझ बनाने के लिए पर्याप्त ब्यौरे में होगी।

च. दुर्भाग्यवश न तो उपर्युक्त पक्षकारों ने अपने उत्तरों में कमियों को पूरा करने के लिए प्रयास भी किया है और न ही इतनी महत्वपूर्ण सूचना को गोपनीय होने का दावा करने के लिए कोई स्पष्टीकरण ही दिया।

ड.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

24. प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई सीमा तक गोपनीयता के संबंध में जांच प्रक्रिया के दौरान आवेदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों की जांच की गई है और निम्नलिखित रूप में उन्हें हल किया गया है:

25. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:-

" गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे। (2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

उप नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

26 प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता के दावों की जांच की और संतुष्ट होने पर गोपनीयता संबंधी दावे की अनुमति दी। प्राधिकारी मानते हैं कि कोई भी सूचना जो प्रकृति में गोपनीय है (उदाहरण के लिए क्योंकि इसका प्रकटन किसी प्रतिस्पर्धी के लिए काफी प्रतिस्पर्धी लाभ का होगा अथवा इसके प्रकटन से सूचना देने वाले व्यक्ति पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अथवा उस व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे उस व्यक्ति ने सूचना प्राप्त की है) अथवा किसी जांच में पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर जो सूचना दी गई है, अच्छे कारण दर्शाकर, प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी जाएगी। यह सूचना उसे प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की विशेष अनुमति के बिना प्रकट नहीं की जा सकती।

27. प्राधिकारी ने ई-मेल के माध्यम से एक दूसरे के साथ अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर साझा करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश देकर विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। व्यापारी संवेदी सूचना परिपाटी के अनुसार गोपनीय रखी गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोई भी सूचना जो सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध है, गोपनीय नहीं मानी जा सकती।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

च.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

28. जांच प्रक्रिया के दौरान उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन से संबंधित अनुरोध निम्नलिखित हैं:

क. आवेदक ने अपनी इनपुट लागत के आधार पर संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत निर्मित की थी और इसीलिए, प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे प्रत्येक कारक की सावधानीपूर्वक पर्याप्त रूप से जांच करें और उपयुक्त समायोजन करें।

ख. आवेदक ने निर्यात कीमत से अत्यधिक समायोजनों का दावा किया है जो कम निर्यात कीमत दर्शाने के इरादे से भी है।

ग. आवेदन पत्र में पाटन और क्षति मार्जिन के दावे अत्यधिक बढ़ाए हुए प्रतीत होते हैं और संगत तथा लागू तथ्यों पर आधारित नहीं हैं।

घ. प्राधिकारी को सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के लिए वास्तविक संगत आंकड़ों पर विचार करना चाहिए जिसका अभिप्राय प्रतिभागी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दिए गए पाटन मार्जिन से है।

ड. प्राधिकारी इस अनुरोध में उत्पादक/निर्यातक के लिए अलग-अलग पाटन और क्षति मार्जिन निर्धारित करें जिन्होंने निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है।

च. ओमान से विशेष बाजार स्थिति का प्रयोग करने के लिए आवेदक उद्योग का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह दावा लिखित अनुरोधों में पहली बार किया गया था। इस संदर्भ में, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत अधिसूचना केवल न्यूनतम निर्यात कीमत और दोहरी कीमत की मौजूदगी सिद्ध करती है।

छ. इसके अतिरिक्त, इनपुट के रूप में कच्ची जिप्सम से संबंधित पूर्व जांचों में प्राधिकारी ने यह नहीं माना है कि ओमान से निर्यातक किसी विशेष परिस्थितियों से लाभान्वित हैं। यह भी अनुरोध है कि दोहरी नीति से संबंधित सूचना अथवा ऐसी कोई अन्य सूचना घरेलू उद्योग द्वारा दायर नहीं की गई है और इसीलिए विशेष बाजार स्थिति से संबंधित दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता।

ज. यह अनुरोध है कि यह मानते हुए न कि स्वीकार करते हुए कि चीनी कंपनियों के लाभ और घरेलू बिक्री के लिए सूचना आवश्यक सूचना के रूप में मानी जाती है, उसे दायर न करना पूरे उत्तर को रद्द करना नहीं माना जाता। चीनी कंपनियों द्वारा दी गई निर्यात कीमत संबंधी सूचना पूर्ण और सही है। अत:, प्राधिकारी निर्यात कीमत के संबंध में सूचना से संबंधित उपलब्ध तथ्य लागू कर सकते हैं।

झ. आवेदक उद्योग के लागत मानदंडों के आधार पर ओमान के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन गलत है और प्राधिकारी को ओमान से निर्यातक द्वारा सूचित किए गए आंकड़ों को स्वीकार करना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, यहां तक कि यदि भारतीय प्राधिकारी निर्मित सामान्य मूल्य का प्रयोग करने पर जोर देते हैं तो सामान्य मूल्य निर्मित करने के लिए प्रयुक्त लागत उत्पादक के रिकॉर्ड से और मूल देश से होनी चाहिए अथवा यहां तक कि लागतें मूल देश में विद्यमान स्थितियों को दर्शाने के लिए समायोजित की जानी चाहिएं।

ञ. उत्तरदाताओं का अनुरोध है कि किसी विशेष बाजार स्थिति के संबंध में आवेदक का तर्क अत्यधिक देरी से दिया गया है। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने 'दोहरी कीमत' का कोई साक्ष्य नहीं दिया है। आवेदक द्वारा उल्लिखित एकमात्र दस्तावेज़ न्यूनतम निर्यात कीमत की शुरुआत की मौजूदगी दर्शाता है। तथापि, ओमान सरकार द्वारा घरेलू कीमतों के नियंत्रण के संबंध में आवेदक द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। विशेष बाजार स्थिति का आरोप लगाने के लिए आवेदक द्वारा प्रयुक्त प्रशासनिक निर्णय 246/2016 वास्तव में कच्चे जिप्सम के निर्यात के लिए ही न्यूनतम कीमत आरंभ निर्धारित करता है। न्यूनतम निर्यात कीमत का निर्धारण यह सिद्ध नहीं

करता कि कच्चे जिप्सम की घरेलू कीमत कम है। आवेदक ने इसके संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया है।

ट. उत्पादक/निर्यातक द्वारा पृथक उत्तर दायर किए जाने की आवश्यकता के संबंध में उत्तरदाता निर्यातकों ने अनुरोध किया है कि दो संबद्ध कंपनियों के लिए एक उत्तर देने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यदि दोनों कंपनियों ने प्रश्नावली के उत्तर में मांगी गई पूरी 'आवश्यक सूचना' दी है। आवेदक ने एक भी उदाहरण ऐसा नहीं दिया है जहां कंपनियों ने 'आवश्यक सूचना' न दी हो।

ठ. यूरोप (संयुक्त) को प्रतिनिधि बनाए जाने का अनुरोध देरी से किया गया है और इसीलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, यूरोपी (संयुक्त) उपयुक्त प्रतिनिधि देश नहीं हो सकता क्योंकि यूनियन डब्ल्यूटीओ का सदस्य नहीं है और केवल एक महाद्वीप है।

ड. चीनी निर्यातकों द्वारा दी गई सूचना उपलब्ध न्याय प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक सूचना है। यह भी अनुरोध है कि कुछ सूचना प्रस्तुत न किए जाने के लिए उपलब्ध तथ्यों को लागू करना पूरे उत्तर को रद्द करने का आधार नहीं बन सकता।

ढ. निर्यातकों की उत्पादन लागत उपयुक्त रूप से संबद्ध सामानों के उत्पादन से जुड़ी लागत उपयुक्त रूप से दर्शाती है और आवेदक के शेष दावों का कोई अर्थ नहीं है।

च.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

29. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए हैं:

क. घरेलू उद्योग ने जांच की शुरुआत के प्रयोजन के लिए अपने आवेदन-पत्र में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के अपने दावे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य दिया है। घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि वे संबद्ध देशों में प्रचलित कीमतों के संबंध में कोई विश्वसनीयता सूचना प्राप्त करने में असमर्थ थे। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के आयातों अथवा अन्य देशों को

निर्यातों से संबंधित सूचना जांच की अवधि के लिए सार्वजनिक पटल पर भी उपलब्ध नहीं थी।

ख. प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों के लिए तथा लाभ के लिए उपयुक्त अभिवृद्धि के साथ मूल देश में उपर्युक्त वस्तु की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य संबंधी सूचना ओमान से कच्ची जिप्सम की न्यूनतम निर्यात कीमत अर्थात लोक खनन प्राधिकारी, ओमान सल्तन द्वारा प्रकाशित दिनांक 19.12.2016 के प्रशासनिक निर्णय संख्या 264/2016 के आधार पर 12.5 अमरीकी डॉलर/एमटी पर विचार करने के बाद निर्मित की गई थी। जहां तक चीन का एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश होने का संबंध है, आवेदक घरेलू उद्योग ने चीन के लिए कच्ची जिप्सम की कच्ची सामग्री की कीमत के रूप में ओमान से कच्ची जिप्सम की न्यूनतम निर्यात कीमत का प्रयोग किया है। अतः, निर्मित सामान्य मूल्य प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानदंडों और कानूनी प्रावधानों के अनुसार निकाला गया है।

ग. घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि केवल एकमात्र ओमान से प्रतिभागी निर्यातक ने पूरी निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है और इसीलिए, घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वे कृपया उनके उत्तरों को पूर्ण रूप से रद्द करें। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि उनके लिए निर्मित सामान्य मूल्य का परिकलन करते समय प्राधिकारी को 12.5 अम. डॉ. एमटी के रूप में जिप्सम लागत माननी चाहिए।

घ. चीन के किसी भी निर्यातक ने पूरी निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए हैं। यहां तक कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित परिपत्र दायर नहीं किए गए हैं। इसी दृष्टि से, प्राधिकारी को सभी चीनी निर्यातकों के उत्तर रद्द करने चाहिएं। यह भी अनुरोध है कि निर्यातकों ने अपने कुल बिक्री चैनल प्रकट नहीं किए हैं और संबद्ध कंपनियों ने जो निर्यात किया है, ने भी पूरी प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए हैं।

ड. घरेलू उद्योग का यह भी अनुरोध है कि विशिष्ट प्रपत्र और अनुदेशों के बावजूद चीन जन.गण. के उत्पादक/निर्यातक अर्थात लिनयि ऐक्सल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट

और जोनमे बिल्डिंग मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड ने एक ही निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह सूचना छिपाई कि दोनों कंपनियों ने भारत में संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। उपर्युक्त कमियों के मद्देनजर और इस तथ्य के मद्देनजर कि सभी प्रपत्र उनके द्वारा दायर नहीं किए गए हैं, प्राधिकारी को अकेले इस आधार पर ही उनके उत्तरों को रद्द करना चाहिए।

च. आवेदन पत्र में निर्यात कीमत सहायक स्रोत आयात आंकड़ों के आधार पर परिकलित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के अनुसार समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन सार समान और मंजूरी प्रभार, बैंक प्रभार, कमीशन और ऋण लागत घटाई है।

छ. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से यह भी अनुरोध किया है कि वे संबद्ध देशों में प्रचलित प्रतिनिधि कीमत के रूप में यूरोपीय संघ से कीमतों पर विचार करें, क्योंकि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने पूरा उत्तर नहीं दिया है।

च.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

च.3.1 <u>सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण</u>

<u>सामान्य मूल्य का परिकलन</u>

30. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के तहत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य से तात्पर्य यह है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की

उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगाः-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र से किसी उपयुक्त तीसरे देश को किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत;

31. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को यह सलाह देते हुए प्रश्नावलियां भेजी कि वे प्राधिकारी द्वारा निर्धारित स्वरूप और तरीके में सूचना उपलब्ध कराएं। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने अपने प्रश्नावली के उत्तर दायर कर वर्तमान जांच में भाग लिया है:

क. ग्लोबल जिप्सम बोर्ड कंपनी लिमिटेड, ओमान
ख. जोनमे बिल्डिंग मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड एंड लिन्यी ऐक्सल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट
ग. ड्रीम ब्रांड न्यू मैटिरियल्स (पिंगयि) कंपनी लिमिटेड
घ. शिजियाझुआंग डियानयु इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड

32. उपर्युक्त सभी उत्पादकों/निर्यातकों की प्रश्नावली के उत्तर पर प्राधिकारी द्वारा जोनमी बिल्डिंग मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड और लिनयि ऐक्सल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को छोड़कर विचार किया गया है। यह नोट किया गया है कि ज़ोनमे बिल्डिंग मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड और लिनी एक्सेल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ने कमी को दूर करने का पर्याप्त अवसर देने के बावजूद निर्यातक की प्रश्नावली का पूरा जवाब और प्राधिकारी द्वारा मांगी गई प्रासंगिक जानकारी दाखिल नहीं की है। इसके मद्देनजर प्रस्ताव है कि उसके निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर को स्वीकार न किया जाए। तद्नुसार, प्राधिकारी नियम 6(8) कि अनुसार उपलब्ध तथ्य लागू करें।

33. संबद्ध देशों में प्रचलित सामान्य मूल्य के रूप में प्रतिनिधि कीमतों के रूप में आवश्यक समायोजनों के बाद यूरोपीय संघ से निर्यातों पर विचार किए जाने के अनुरोध के संबंध में

यह नोट किया जाता है कि यूरोपीय संघ से आयातों की मात्रा काफी नहीं है। अत:, यूरोपीय संघ को संबद्ध देशों के लिए प्रतिनिधि देश नहीं माना जा सकता।

34. ओमान में विशेष बाजार स्थिति पर विचार करने के अनुरोध के संबंध में यह नोट किया जाता है कि यद्यपि घरेलू उद्योग ने प्रशासनिक निर्णय सं. 264/2016 का उल्लेख किया था, तथापि यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने दोहरी कीमतों की मौजूदगी सिद्ध नहीं की है और यह सिद्ध नहीं किया है कि उसका सामान्य मूल्य के परिकलन पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है। किसी भी दशा में, अपेक्षित आंकड़ों के अभाव में प्राधिकारी ओमान से विशेष बाजार स्थिति के प्रावधानों को लगाने में सक्षम नहीं हैं।

<u>चीन जन.गण. के सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य</u>

35. आवेदक ने अनुरोध किया है कि चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और चीनी उत्पादकों से यह दर्शाने के लिए कहा जाना चाहिए कि इस उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। जब तक चीनी उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं तब तक उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

36. चूंकि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक ने चीन जन.गण. के लिए बाजार अर्थव्यवस्था स्तर का दावा नहीं किया है, अत: प्राधिकारी को नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही करनी है जिसे निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाता है:

> *"गैर उचित लाभ मार्जिन को ,बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में- शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं या किसी अन्य उचित आधार , पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था*

किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी।-समय ,जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

37. प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो आवेदकों और न ही अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमतों, निर्यातों अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने में सक्षम होने के लिए कोई सूचना और साक्ष्य उपलब्ध कराया है।

38. पूर्वोक्त के मद्देनजर और नियमावली के अनुबंध । के पैरा 7 के अनुसार प्राधिकारी ने भारत में प्रदत्त अथवा देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार किया है। प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए लाभ के लिए उपयुक्त समायोजन के साथ समायोजित घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर विचार किया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

<u>चीन के लिए निर्यात कीमत</u>

ड्रीम ब्रांड न्यू मैटिरियल्स (पिंगयि) कंपनी लिमिटेड

39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों के एक उत्पादक और निर्यातक मैसर्स ड्रीम ब्रांड न्यू मैटिरियल्स (पिंगयि) कंपनी लिमिटेड (ड्रीम ब्रांड) ने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। जांच की अवधि के दौरान उत्पादक ने एफओबी आधार पर भारत में असंबद्ध ग्राहकों को सीधे ही ***अमरीकी डॉलर के संबद्ध सामानों के ***एमटी का निर्यात किया है। उत्पादक ने अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य खर्चों के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने ड्रीम लैंड द्वारा किए गए दावों की जांच की है और तद्नुसार दावों की अनुमति दी गई है। तद्नुसार, ड्रीम ब्रांड न्यू मैटिरियल्स (पिंगयि) कंपनी लिमिटेड के लिए कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत उचित समायोजनों

की अनुमति देने के बाद निर्धारित की गई है और उसे निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है:

शिजियाहुआंग डायन यु इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. (उत्पादक और निर्यातक)

40. प्राधिकारी नोट करते हैं चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों के एक उत्पादक और निर्यातक मैसर्स शिजियाहुआंग डायन यु इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड (शिजियाहुआंग) ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं। जांच की अवधि के दौरान उत्पादक ने एफओबी आधार पर भारत में असंबद्ध ग्राहकों को सीधे ही ***अमरीकी डॉलर के संबद्ध सामानों के ***एमटी का निर्यात किया है। उत्पादक ने अपेक्षित स्वरूप और तरीके में संगत सूचना दी है। प्राधिकारी ने शिजियाहुआंग द्वारा किए गए दावों की जांच की है और तद्नुसार दावों की अनुमति दी है। तद्नुसार, शिजियाहुआंग डायन यु इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड के लिए कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत उचित समायोजनों की अनुमति देने के बाद निर्धारित की गई है और उसे निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है:

जोनमे बिल्डिंग मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड

41. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैसर्स जोनमे बिल्डिंग मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड ने अपने संबद्ध व्यापारी अर्थात लिनयि ऐक्सल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। व्यापारी ने अंतत: जांच की अवधि के दौरान भारतीय ग्राहकों को संबद्ध सामानों की बिक्री की। तथापि, प्राधिकारी को जोनमे बिल्डिंग मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड (उत्पादक) द्वारा लिनयि ऐक्सल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट(निर्यातक) को बिक्री के ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए हैं। इस कारण से, प्राधिकारी जोनमे बिल्डिंग मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत परिकलित नहीं कर पाए।

42. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्राधिकारी जोनमे बिल्डिंग मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड और लिनयि ऐक्सल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों को जांच में असहयोगी मानने का प्रस्ताव करते हैं।

चीन जन.गण. से अन्य उत्पादक

43. चीन जन.गण. के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत सहयोगी उत्पादक द्वारा दिए गए आंकड़ों पर विचार करते हुए, उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है और उसे निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

ओमान के लिए सामान्य मूल्य

ग्लोबल जिप्सम बोर्ड कं. एलएलसी के लिए सामान्य मूल्य

44. ग्लोबल जिप्सम बोर्ड कं. एलएलसी, जो ओमान में संबद्ध सामानों का उत्पादक है, ने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया।

45. जीजीबीसी द्वारा दायर उत्तर से प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी ने असंबद्ध ग्राहकों को सीधे ही घरेलू बाजार में संबद्ध सामानों की बिक्री की है। तथापि, यह नोट किया गया था कि जीजीबीसी द्वारा दायर लागत संबंधी सूचना पूरी तरह से अपर्याप्त थी। कंपनी ने समग्र रूप से कंपनी के संबंध में सूचना दी है कि न कि अनुबंध-7 और 8 में संबद्ध सामानों की लागत से संबंधित कोई सूचना दी। संबद्ध सामानों की लागत संबंधी सूचना के अभाव में प्राधिकारी उत्पादन लागत निर्धारित करने में और संबद्ध सामानों के लिए व्यापार परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया करने में असमर्थ हैं। अत:, प्राधिकारी जीजीबीसी के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने में असमर्थ हैं।

46. तद्नुसार, ग्लोबल जिप्सम बोर्ड कं. एलएलसीके लिए सामान्य मूल्य विधिवत समायोजित और उपयुक्त एसजीए खर्चों तथा लाभ मार्जिन के साथ भारत में उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया गया है और वह पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ओमान के अन्य सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ओमान के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। अत: उनके मामले में सामान्य मूल्य रिकॉर्ड में उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

ग्लोबल जिप्सम बोर्ड कं. एलएलसी,ओमान के लिए निर्यात कीमत

48. ओमान में संबद्ध सामानों के एक उत्पादक और निर्यातक ग्लोबल जिप्सम बोर्ड कं. एलएलसी (ग्लोबल जिप्सम बोर्ड) ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं। जांच की अवधि के दौरान उत्पादक ने सीएंडएफ आधार पर भारत में असंबद्ध ग्राहकों को सीधे ही ***अम.डा. के संबद्ध सामानों के *** एमटी का निर्यात किया है। उत्पादक ने समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय परिवहन, बैंक प्रभार, पत्तन एवं अन्य खर्चों के निमित्त समायोजन का दावा किया है। ग्लोबल जिप्सम बोर्ड द्वारा किए गए दावों की जांच की गई थी और तद्नुसार, दावों की अनुमति दी गई है। तद्नुसार, ग्लोबल जिप्सम बोर्ड कंपनी एलएलसी के लिए कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत उचित समायोजनों की अनुमति दिए जाने के बाद निर्धारित की गई है और वह पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ओमान के अन्य उत्पादक

49. ओमान के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत सहयोगी उत्पादकों द्वारा दिए गए आंकड़ों पर विचार करते हुए उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित किए है और वह निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

च.3.3 पाटन मार्जिन

50. उपर्युक्त सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दिए गए अनुसार निर्धारित किए गए हैं:

पाटन मार्जिन तालिका

क्र.सं.	देश	विवरण	एनवी	एनईपी	पाटन मार्जिन		पाटन मार्जिन रेंज
			यूएसडॉ./एमटी	यूएसडॉ./एमटी	यूएसडॉ./एमटी	%	%
1	चीन	ड्रीमब्रांड न्यू मैटरियल्स	***	***	***	***	110-120

		(पिंगयि) कं.(उत्पादक/ निर्यातक) चीन जन.गण.					
2		शिजियाहुआंग डायन यु इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट.(उत्पादक/ निर्यातक) चीन जन.गण.	***	***	***	***	100-110
3		अन्य कोई	***	***	***	***	120-130
4	ओमान	गलेबल जिप्सम बोर्ड कं. एलएलसी.(उत्पादक/ निर्यातक) ओमान	***	***	***	***	50-60
5		अन्य कोई	***	***	***	***	60-70

51. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक ही नहीं हैं बल्कि काफी भी हैं।

छ. <u>क्षति का आकलन और कारणात्मक संपर्क</u>

छ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

52. जांच प्रक्रिया के दौरान उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए कारणात्मक संपर्क और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

क. वास्तविक मंदी के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इंडियन जिप्सम प्राइवेट लिमिटेड और जिप्टेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड नामक ऐसे उत्पादक हैं जो पहले से ही विचाराधीन उत्पाद के व्यापार में हैं।

ख. यह भी अनुरोध किया जाता है कि चूंकि संबद्ध सामान उत्पादन के मानदंडों की योग्यता प्राप्त नहीं करते, अत: आवेदक उद्योग को संबद्ध सामानों का उत्पादक होना नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त, संबद्ध सामानों में कच्ची सामग्री से मूल्य अभिवृद्धि बहुत ही कम है जो इस बात को भी स्पष्ट करती है कि वर्तमान जांच क्षति के तहत वास्तविक मंदी के खंड के तहत नहीं की जा सकती।

ग. जिप्सम बोर्ड से मूल्य अभिवृद्धि पर विचार करते हुए संबद्ध सामानों को इस वर्तमान जांच के लिए नया उत्पाद नहीं माना जा सकता।

घ. यह भी अनुरोध है कि आवेदक उद्योग को एक नया उद्योग अथवा एक स्थापित होने वाला उद्योग नहीं माना जा सकता क्योंकि मूल्य अभिवृद्धि जिप्सम बोर्ड से नगण्य (अर्थात 4 प्रतिशत) है। इसके अतिरिक्त, आवेदक उद्योग द्वारा किया गया निवेश भी आवेदक उद्योग (समग्र रूप से कंपनी) द्वारा किए गए कुल निवेश की तुलना में बहुत ही कम प्रतिशत है।

ड. उत्तरदाता ने अनुरोध किया है कि आवेदक एक नया उद्योग नहीं है और उनका यह दावा कि वाणिज्यिक उत्पादन अक्तूबर, 2020 में शुरु हुआ, गलत है क्योंकि आवेदक फरवरी, 2018 से इस उत्पाद का उत्पादन करता आ रहा है जोकि क्षति की अवधि से पूर्व है। अत:, वास्तविक मंदी का दावा नहीं बनता है। उन्होंने प्राधिकारी से यह भी अनुरोध किया है कि वर्तमान जांच को समाप्त किया जाए क्योंकि आवेदक ने प्राधिकारी को भ्रमित करने का प्रयास किया है। यह भी अनुरोध है कि घरेलू उद्योग उस सीमा तक 'उत्पादन' को नहीं ले रहा है कि वह उत्पाद के उत्पादन में खुद को लगा हुआ हो सकता हो।

च. उपर्युक्त के अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेश के कारण भी वर्तमान जांच एक नए उद्योग के परीक्षण को पास नहीं करती।

छ. यह जांच करने के लिए कि क्या यह उद्योग स्थापित है, उत्पादन शुरु करने के समय, उत्पादन की प्रकृति, क्या उत्पादन विद्यमान उद्योग में केवल नया उत्पाद

लाइन है, उत्पाद के आकार बनाम घरेलू बाजार के आकार और उत्पादन की स्थिरता की जांच करने की आवश्यकता है। इन मानदंडों के आधार पर प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के दावों की जांच करनी चाहिए और निष्कर्ष निकालना चाहिए कि घरेलू उद्योग एक स्थापित होने वाला उद्योग नहीं है।

ज. यह अनुरोध है कि घरेलू उद्योग 2015 से संबद्ध सामानों का उत्पादन करता आ रहा है और इसीलिए उन्हें एक नया उद्योग नहीं माना जा सकता।

झ. वास्तविक मंदी के लिए पर्याप्त आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। प्राधिकारी को यह जांच करनी चाहिए कि क्या आवेदक को बाजार में एक रास्ता अभी पाना है अथवा पहले से स्थापित है।

ञ. यह भी अनुरोध है कि घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से बोर्डों और लेमिनेशन के लिए प्रयुक्त पूरी कच्ची सामग्री का आयात कर रहा है। इसके अतिरिक्त, कच्ची सामग्री में वृद्धि का एक कारक के रूप में तब आरोप नहीं लगाया जा सकता जब घरेलू उद्योग खुद कच्ची सामग्री का उत्पादन कर रहा है।

ट. 2.1 वर्षों के भीतर आय बनाने में असमर्थता इसलिए है क्योंकि आवेदक का वाणिज्यिक उत्पादन महामारी के दौरान उस समय शुरु हुआ जब क्षति की अवधि में मांग सबसे कम थी।

ठ. यह अनुरोध है कि सभी मानदंडों ने सुधार दर्शाया है और इसीलिए वास्तविक क्षति के संबंध में भी वर्तमान जांच रद्द किए जाने की आवश्यकता है।

ड. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह भी अनुरोध किया जाता है कि संबद्ध सामानों और कच्ची सामग्री अर्थात जिप्सम लेमिनेशन के बिना जिप्सम बोर्ड के उत्पादन में उत्पादन प्रक्रिया, वाणिज्यिक और अनुसंधान अतिव्यापन आदि में काफी अतिव्यापन है। अतः, उन्हें संबद्ध सामानों के उत्पादकों के रूप में घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता जिन्हें कोई क्षति हो सकती हो।

ढ. भारत को ओमानी उद्योग का निर्यात बुरी तरह से गिर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान ओमान से भारत में बहुत ही कम मात्राओं का निर्यात हुआ है। अतः,

भारतीय बाजार में उनका निर्यात न्यूनतम है। इसके अतिरिक्त, इस जांच में भाग लेने वाली ओमानी कंपनी ने यह उल्लेख किया कि उन्होंने 2022 से भारत को निर्यात करना बंद कर दिया है।

ण. यह अनुरोध है कि सभी क्षति संबंधी मानदंड बढ़ रहे हैं और इसीलिए तथ्य घरेलू उद्योग के इस तर्क का समर्थन नहीं कर रहे हैं कि वे खुद को स्थापित करने में समर्थ नहीं हैं।

छ.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

53. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध नीचे पुन: प्रस्तुत किए जाते हैं।

क. घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उनके द्वारा मौखिक सुनवाई के दौरान विशेष रूप से उल्लेख किए जाने के बावजूद उत्तरदाताओं ने किसी कानूनी प्रावधान का उल्लेख नहीं किया है जो किसी नए उद्योग के रूप में किसी उद्योग पर विचार किए जाने के लिए किसी निवेश की शुरुआत के संबंध में अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए अधिदेशित करता हो अथवा दूर से भी सुझाव देता हो अथवा कोई मार्गदर्शन देता हो। यह भी अनुरोध किया जाता है कि चूंकि इस संबंध में कोई कानूनी प्रावधान नहीं है और न ही कोई तर्कसंगत तर्क दिया गया है, अत: हितबद्ध पक्षकारों के तर्क में कोई औचित्य अथवा सार नहीं है और इसीलिए उसे रद्द किए जाने की आवश्यकता है।

ख. घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि यदि पाटनरोधी जांचों के प्रयोजन के लिए विशिष्ट निवेश की शुरुआत प्रदान करने के लिए कानून का आशय होता तो उसमें विशिष्ट रूप से ऐसा कहा गया होता। घरेलू उद्योग ने यह भी उल्लेख किया कि जहां कहीं संख्यात्मक मूल्य आवश्यक समझे गए थे, कानून ने उसके लिए विशेष प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी के लिए कानून के तहत विशेष रूप से किए गए प्रावधान से आगे जाने के लिए न तो अपेक्षित है और न ही उन्हें करना है और इसीलिए किसी नए उद्योग के निवेश स्तरों में जाना केवल कानून

के प्राधिकार के बिना ही नहीं होगा बल्कि दिशाहीन पूर्वोदाहरण निर्धारित करना भी होगा।

ग. इस अनुरोध के संबंध में कि संबद्ध सामान नए उत्पाद नहीं हैं, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि 'नए उत्पाद' अथवा 'विनिर्माण' शब्द पाटनरोधी कानूनों में विशेष रूप से परिभाषित नहीं किए गए हैं। तथापि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार 'विनिर्माण' शब्द का अर्थ केवल उन परिवर्तनों से है जिनके परिणामस्वरूप नए नाम विशेषता और प्रयोग के साथ उत्पाद होता है। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया था कि चूंकि विनिर्माण की परिभाषा पाटनरोधी और उत्पाद शुल्क संबंधी कानून में समान है, अत: शीर्ष न्यायालय का अनुपात सीधे संदर्भ का है और उसका निकटस्थ समझाने वाला मूल्य है, विशेष रूप से इस तथ्य के मद्देनजर कि संकल्पना को समझने में कोई तार्किक अथवा कानूनी व्यवधान नहीं है।

घ. यह भी अनुरोध है कि किसी परियोजना में निवेश उस उत्पाद विशेष के लिए पूंजी की आवश्यकता का एक प्रकार्य है। यह पूरी तरह से असंगत है, चाहे निवेश 'कम' हो, पूर्ण दृष्टि से या आवेदक कंपनी में समग्र निवेश के संबंध में। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सुझाया गया दृष्टिकोण का किसी भी परिस्थिति में सहारा नहीं लिया जा सकता क्योंकि पूर्ण अथवा सापेक्ष संदर्भ में शुरुआती निवेश निर्धारित करने के लिए कोई मानदंड नहीं हैं। दुर्भाग्यवश यह दृष्टिकोण आवेदक उद्योग के लिए ही हानिकारक नहीं होगा बल्कि पाटनरोधी कानूनों और प्रक्रियाओं की योजना में पूरी अनदेखी में भी होगा। प्राधिकारी के लिए वास्तव में यह संतुष्ट होना संगत है कि उद्योग ने उत्पादन की दक्षताएं सुनिश्चित करने और उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए पर्याप्त निवेश किए हैं।

ड. सुविधाओं के अतिव्यापन के संबंध में घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रभाव डालने का प्रयास किया है कि एक नया उत्पाद अस्तित्व में आने वाला नहीं कहा जा सकता, यदि प्रक्रिया में कोई अतिव्यापन है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि ऐसी स्थिति हो सकती है जहां अतिव्यापन महत्वपूर्ण है, फिर भी प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर आ सकते हैं कि एक नया उत्पाद विनिर्मित किया जा

रहा है। अतिव्यापन की अधिक मात्रा से बारीक जांच की मांग हो सकती है परंतु निर्णायक अथवा निष्कर्षात्मक परीक्षण नहीं हो सकता। अत:, वास्तविक परीक्षण वे हैं जो ऊपर उल्लिखित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनमें उल्लिखित कारणों से दिए गए हैं।

च. घरेलू उद्योग द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि संबद्ध सामानों के उत्पादन में तथाकथित 'ओवरलैप' न्यूनतम है जो ऊपरी खर्चों, विपणन आदि के कारण हुई लागत तक प्रतिबंधित भी है। हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि घरेलू उद्योग द्वारा अपने आवेदन पत्र में सूचीबद्ध पच्चीस कदमों में से केवल दो विचाराधीन उत्पाद के लिए विशिष्ट हैं, यह कार्य वास्तविक रूप से गलत है और नकारा जाता है, विचाराधीन उत्पाद के लिए मशीनें तथा संयंत्र और भवन बोर्ड की विनिर्माण सुविधा से पूरी तरह से भिन्न थी। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि मूल्य अभिवृद्धि 50 प्रतिशत से अधिक है, एक तथ्य जिसे रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़ों से प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया था। घरेलू उद्योग ने अपने मामले को सिद्ध करने के लिए समान मुद्दों से संबंधित पूर्व की डीजीटीआर जांचों पर भी विश्वास किया है।

छ. घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि यद्यपि वे एक ही स्थान पर संबद्ध सामानों का उत्पादन कर रहे हैं, तथापि, वे विशिष्ट भौगोलिक बाजारों की पूर्ति करने के लिए अन्य स्थानों पर समान सुविधाएं बनाने का इरादा रखते हैं, जिसे संबद्ध देशों से निरंतर पाटन के कारण पूरा नहीं किया जा सका।

ज. जहां तक संबद्ध सामानों के अन्य उत्पादकों के मुद्दे का संबंध है, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि उनके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार जिन दो अन्य उत्पादकों ने जांच की अवधि के बाद उत्पादन शुरु किया है उन्होंने संबद्ध देशों से पाटित और क्षतिकारक आयातों के कारण अस्थाई रूप से पहले ही बंद कर दिया है।

झ. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है चूंकि एसजी ग्रुप अपनी अनुषंगी कंपनी अनुसंधान एवं विकास के विद्यमान अवसंरचना का प्रयोग कर रहा है, अत: इस जांच को वास्तविक मंदी के रूप में नहीं माना जा सकता, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है

कि उसने भारतीय बाजार में अपनी स्थापना को वास्तविक मंदी का दावा करते हुए पाटनरोधी आवेदन-पत्र दायर किया है न कि अन्य बाजारों में। अत:, विभिन्न देशों में स्थित पृथक कानूनी कंपनियों पर विश्वास करना वर्तमान जांच पर कोई कानूनी अथवा तार्किक व्यवधान नहीं है।

ञ. जहां तक घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध सामानों का उत्पादन शुरु करने की तारीख का संबंध है, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि उन्होंने भारत में अक्तूबर, 2020 में पहली बार संबद्ध सामानों का उत्पादन किया और अक्तूबर, 2020 से पूर्व वे संबद्ध सामानों का आयात कर रहे थे और भारतीय बाजार में बेच रहे थे। इसके मद्देनजर, कोई ऐसी सूचना/साक्ष्य नहीं था जो यह बताए कि घरेलू उद्योग ने कोई गलत और भ्रामक अनुरोध किए हैं।

ट. घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों के कारण मात्रात्मक तथा कीमत क्षति कम कीमत पर बिक्री की हानि हुई है। लाभ, नकद लाभ, ब्याज पूर्व लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और बाजार हिस्सा जैसे मानदंड पूर्ण संख्याओं में भी काफी प्रतिकूल थे। उत्पादन और घरेलू बिक्री के संदर्भ में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से कम मूल्य के पाटित आयातों के कारण हानियां होती जा रही हैं।

ठ. घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के लिए अन्य कोई कारक नहीं कहा जा सकता।

छ.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

54. अनुबंध-II के साथ पठित नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... *पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ...''* घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी।

55. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव का संबंध है, नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) में निम्नलिखित उल्लेख है:

> *"(iv) संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"*

56. विश्व व्यापार संगठन के करार के अनुच्छेद 3.1 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में (क) पाटित आयातों की मात्रा और घरेलू बाजार में समान उत्पादों के लिए पाटित आयातों का कीमतों पर प्रभाव; और (ख) इस प्रकार के उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव दोनों की वस्तुपरक जांच का प्रावधान है। पाटित आयातों के मात्रा संबंधी प्रभाव के बारे में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य की जांच करें कि क्या या तो स्वतंत्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पाटित आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत संबंधी प्रभाव के बारे में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य की जांच करें कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा इस प्रकार के आयातों का प्रभाव अन्य प्रकार से बहुत अधिक हद तक कीमतों पर दबाव बनाएगा अथवा कीमत में वृद्धि को रोकेगा जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक हद तक हुई होती। वर्तमान क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने पाटन और क्षति, यदि कोई है, के बीच कारणात्मक संपर्क और क्षति की मौजूदगी की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग पर संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के मात्रात्मक और कीमत प्रभाव तथा कीमतों और लाभप्रदता पर उसके प्रभाव की जांच की है।

57. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति तर्कों की जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामला एक उद्योग की स्थापना की वास्तविक मंदी का है। क्षति विश्लेषण की कार्यवाही करने से पूर्व किसी उद्योग की स्थापना

को 'वास्तविक मंदी' की संकल्पना के संबंध में कुछ कानूनी पहलुओं को हल करने की आवश्यकता है।

58. जीएटीटी के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन के संबंध में डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3 में 'वास्तविक मंदी' के लिए किसी परिभाषा का प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद के फुटनोट 9 में केवल निम्नलिखित उल्लेख है:

"इस करार के तहत 'क्षति' शब्द, जब तक अन्यथा निर्धारित न हो का अर्थ घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति, घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा अथवा ऐसे किसी उद्योग की स्थापना की वास्तविक मंदी होगा और इस निर्वचन इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार होगा"

59. इसी तरह सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, मूल्यांकन और पाटनरोधी शुल्क का संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 का मामला है जिसमें अनुबंध-II केवल 'वास्तविक क्षति', जिसमें 'क्षति' की परिभाषा के तहत केवल 'वास्तविक क्षति' 'वास्तविक क्षति का खतरा' और 'वास्तविक मंदी' जुड़ते हैं। इस संबंध में और कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि जो किसी उद्योग की स्थापना को वास्तविक मंदी बनाता हो।

60. तथापि, यह स्पष्ट है कि 'वास्तविक मंदी' 'केवल अनस्थापित उद्योगों पर लागू होती है न कि उन उद्योगों पर जो पूरी तरह से स्थापित हैं। यह सच है क्योंकि यह प्राधिकारी के लिए यह पाने के लिए तर्कसंगत नहीं है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से क्षति हो रही थी (जो यह मानती है कि ऐसा उद्योग पहले से ही स्थापित था) और इसके साथ ही घरेलू उद्योग की स्थापना को उन आयातों से वास्तविक रूप से मंदी हुई थी। 'अनस्थापित उद्योगों' का अभिप्राय पाटनरोधी करार अथवा अधिनियम और नियमावली में भी नहीं दिया गया है। तथापि, पाटनरोधी करार के संशोधन के लिए डब्ल्यूटीओ में एक प्रस्ताव रहा है जिसमें उद्योग की स्थापना को वास्तविक मंदी के अभिप्राय की कुछ स्पष्टता दी गई है। तथापि, उसे सदस्यों द्वारा अभी तक नहीं अपनाया गया है। अतः, इस मुद्दे पर निर्णय लेते समय उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता।

61. उपर्युक्त के अतिरिक्त, प्राधिकारी ने किसी उद्योग की स्थापना से संबंधित अन्य निर्णयों में परिपाटी का विश्लेषण भी किया है। इस संदर्भ में, यह नोट किया जाता है कि अनुच्छेद 3.1 में, कोई उद्योग स्थापित किया गया है, यह निर्धारित करने के लिए कोई विशिष्ट पद्धति निर्धारित नहीं है। अत:, जांचकर्ता प्राधिकारी ऐसी किसी भी उपयुक्त पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं जो अवधारणाओं और विचारों पर आधारित हो। तथापि, ये विचार तथ्यों और सकारात्मक साक्ष्य पर आधारित होने चाहिए। इस विषय में उपलब्ध न्याय क्षेत्र के विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी ने यह विश्लेषण किया है कि क्या घरेलू उद्योग एक स्थापित हो रहा(नया उद्योग) है अथवा एक स्थापित उद्योग है। इस संदर्भ में प्राधिकारी ने निम्नलिखित जांच की है:

क. डब्ल्यूटीओ पैनल ने यह पाया है कि यदि उद्योग का उत्पादन विद्यमान उद्योग में केवल नए उत्पाद लाइन है तो वास्तविक मंदी का मामला नहीं हो सकता। तथापि, पैनल ने उस मात्रा की महता पर भी जोर दिया जिस तक विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए विद्यमान अवसंरचना का प्रयोग किया जाता है। घरेलू उद्योग ने संबद्ध सामानों के लिए एक नए विनिर्माण भवन, संयंत्र और मशीनरी स्थापित की थी और अक्तूबर, 2020 में वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किया था। जैसा कि ऊपर नोट किया गया, डब्ल्यूटीओ पैनल ने यह टिप्पणी की है कि नई उत्पाद लाइन शुरु करना अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि इसकी अपेक्षा उद्योग की विद्यमान अवसंरचना में अतिव्यापन की मात्रा महत्वपूर्ण है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जिप्सम प्लास्टर बोर्ड का विनिर्माण करने वाले विद्यमान संयंत्र के साथ-साथ एक नया संयंत्र संबद्ध सामानों के विनिर्माण के लिए स्थापित किया गया है और एक कच्ची सामग्री के रूप में जिप्सम प्लास्टर बोर्ड लेकर यह एक नई उत्पादन लाइन है। वर्तमान मामले में, अतिव्यापन कर रही अवसंरचना की मात्रा कम है और जिप्सम प्लास्टर बोर्ड का उत्पादन करने वाले उद्योग की विद्यमान अवसंरचना तथा संबद्ध सामानों का उत्पादन करने वाले नए संयंत्र, जो स्थापित किया गया है, के बीच महत्वपूर्ण नहीं है।

ख. जहां तक प्रशासनिक कार्यों, बिक्री और विपणन, वितरण चैनल, आरएंडडी आदि में अतिव्यापन से संबंधित अनुरोधों का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि यद्यपि

इन कारकों में अतिव्यापन विद्यमान है, तथापि, संबद्ध सामानों की उत्पादन प्रक्रिया विशिष्ट है। प्राधिकारी ने आवेदक के इस तर्क को नोट किया है कि अतिव्यापन की कुछ मात्रा उद्योग को नया उद्योग होने से अलग नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त, इस तथ्य कि घरेलू उद्योग ने पृथक मशीनरी वाले एक नए संयंत्र की स्थापना की है और यहां तक कि संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए भवन का एक हिस्सा पृथक भी है, की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया जाता है कि जिप्सम बोर्ड के विनिर्माण में प्रयुक्त मशीनरी उस मशीनरी से भिन्न है जो संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए प्रयुक्त की जाती है। संबद्ध सामानों के विनिर्माण में शामिल उत्पादन प्रक्रियाएं जिप्सम बोर्ड की उत्पादन प्रक्रिया से भिन्न हैं।

ग. इस अनुरोध के संबंध में कि आवेदक एक नया उद्योग नहीं है क्योंकि वे फरवरी, 2018 से इस उत्पाद का उत्पादन करते आ रहे हैं जो कि क्षति की अवधि से पहले है, रिकॉर्ड से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने अक्तूबर, 2020 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरु किया।

घ. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि संबद्ध सामानों की विनिर्माण सुविधाओं में निवेश की गई राशि अन्य उत्पादों में कंपनी द्वारा निवेश की गई राशि की तुलना में बहुत ही नगण्य है, यह नोट किया जाता है कि किसी परियोजना में निवेश उस उत्पाद विशेष के लिए पूंजी की आवश्यकता का कार्य है न कि अन्य परियोजनाओं के लिए कंपनी द्वारा निवेश की गई राशि का अनुपात।

ड. जहां तक संबद्ध सामानों में जिप्सम बोर्ड से नगण्य मूल्य अभिवृद्धि से संबंधित अनुरोध का संबंध है, यह भी नोट किया जाता है कि मूल्य अभिवृद्धि काफी है।

च. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सा और बिक्री में पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपर्युक्त मानदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में यह मानते हुए सुधार आने की उम्मीद है कि उसने हाल ही में संबद्ध सामानों का उत्पादन शुरु किया है। उसके परिणामस्वरूप, क्षमता उपयोग धीरे धीरे सुधरा है। इस

प्रकार, क्षति की अवधि में उत्पादन और बिक्री में वृद्धि घरेलू उद्योग द्वारा अपने को बाजार में स्थापित करने के लिए किए गए प्रयासों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि मंदी शब्द का अर्थ है कि पाटित आयात नए उद्योग को उत्पादन की वाणिज्यिक स्थिरता तक पहुंचने के स्थान पर अपने आप को पूरी तरह से स्थापित करने से रोक रहे हैं जिससे वह पाटित आयातों के अभाव में संपन्न हो जाएगा। इस प्रकार, यह जांच करने के लिए कि क्या आयातों ने उद्योग की स्थापना की वास्तविक मंदी की है, संगत पहलू यह नहीं है कि कया उद्योग ने कोई प्रगति दर्शाई है अथवा लाभ कमाए हैं बल्कि संगत पहलू यह है कि केपेक्स रिपोर्ट में किए गए अनुमानों की तुलना में उसका निष्पादन क्या है। इस प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा तैयार की गई कैपेक्स रिपोर्ट में सूचित उसके अनुमानित निष्पादन के साथ घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन की तुलना की है।

62. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर ध्यान दिया है और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनों को ध्यान में रखते हुए, उसका विश्लेषण किया है। यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मानदंड ह्रास दर्शाएं। कुछ मानदंड ह्रास दर्शा सकते हैं, जबकि अन्य कुछ नहीं। प्राधिकारी सभी क्षति मानदंडों पर विचार करते हैं और उसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घरेलू उद्योग को पाटन के कारण क्षति हुई है अथवा नहीं। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वस्तुपरक रूप से क्षति मानदंडों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा नीये किए गए क्षति विश्लेषण से यथा-तथ्यत: उठाई गई सभी चिंताओं का समाधान हो जाता है।

क. <u>मांग/स्पष्ट खपत का मूल्यांकन</u>

63. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादकों और स्रोतों से आयातों की घरेलू बिक्री की मात्रा के रूप में भारत में उत्पाद की मांग और स्पष्ट खपत परिभाषित की है। इस प्रकार मूल्यांकन की गई मांग निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
चीन जन.गण. से आयात	एमटी	51,880	49,857	45,375	38,610
ओमान से आयात	एमटी	0	473	1,086	2,872
कुल संबद्ध देशों से आयात	एमटी	51,880	50,329	46,461	41,482
अन्य देशों से आयात	एमटी	503	165	513	72
कुल आयात	एमटी	52,383	50,495	46,974	41,554
आयातों में हिस्सा					
संबद्ध देश	%	99%	100%	99%	100%
अन्य देश	%	1%	0%	1%	0%
आवेदक उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	0	0	100	336
कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	93	95	97
मांग में बाजार हिस्सा					
संबद्ध देश	%	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	101	94	82
अन्य देश	%	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	34	107	15
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	-	-	100	328

64. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि क्षति जांच अवधि के दौरान आधार वर्ष अर्थात 2018-19 की तुलना में जांच की अवधि में मांग में आंशिक गिरावट आई है। तथापि, उसमें वर्ष 2019-20 और 20-21 की तुलना में वृद्धि हुई है।

ख. <u>पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव</u>

65. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि वे क्या पाटित आयातों में पूर्ण दृष्टि से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में

काफी वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों और अन्य देशों से वर्ष-वार आयात आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
संबद्ध देशों से आयात	एमटी	51,880	50,329	46,461	41,482
अन्य देशों से आयात	एमटी	503	165	513	72
घरेलू उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	-	-	100	298
भारतीय उत्पादन की तुलना में संबद्ध देश से आयात की % मात्रा	%	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	-	-	100	30
भारत में मांग	एमटी	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	96	95	97
मांग में संबद्ध देशों का % हिस्सा	%	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	101	94	82

66. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा लगभग 100 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, भारत में उत्पादन और मांग के संबंध में संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा भी बहुत अधिक है।

छ.3.1 <u>पाटित आयातों का कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव।</u>

67. नियमावली के अनुबंध-II(ii) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हुई है, अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव अन्यथा काफी मात्रा तक कीमतें कम करना है अथवा कीमत वृद्धि रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती। घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कीमत न्यूनीकरण और कीमत ह्रास, यदि कोई है, के संदर्भ में की गई है।

क. <u>कीमत कटौती</u>

68. कीमत कटौती निर्धारित करने के लिए उत्पाद के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बीच तुलना सभी निवल छूटों और करों की व्यापार की उसी सतर पर की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतें कारखानागत स्तर पर निर्धारित की गई थी:

विवरण	यूओएम	चीन जन.गण.	ओमान	संबद्ध देश
आयात मात्रा	एमटी	38,610	2,872	41,482
पहुंच मूल्य	रु./एमटी	15,719	17,862	15,867
घरेलू बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***
घरेलू बिक्री कीमत (सूचीबद्ध)	प्रवृत्ति	100	100	100
कीमत कटौती	रु./एमटी	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	50-60	30-40	50-60
अनुमानित बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***
घरेलू बिक्री कीमत (अनुमानित) (सूचीबद्ध)	प्रवृत्ति	100	100	100
कीमत कटौती	रु./एमटी	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	45-55	30-40	45-55

69. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक और काफी कीमत कटौती हो रही है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के अनुमानों के अनुसार बिक्री कीमत की तुलना करने पर कीमत कटौती काफी सकारात्मक हुई है।

70. घरेलू उद्योग का यह तर्क है कि संबद्ध सामानों से निर्यातकों की इस आक्रामक कीमत के कारण घरेलू उद्योग अपनी बिक्री की मात्रा और बाजार हिस्सा बढ़ाने में असमर्थ था। इसके अतिरिक्त, वे अपनी पूरी लागत वसूल करने में भी असमर्थ हैं। यह भी तर्क दिया

गया है कि घरेलू उद्योग काफी कीमत कटौती के कारण अपना बाजार हिस्सा बढ़ाने में सक्षम नहीं है।

ख. <u>कीमत ह्रास/न्यूनीकरण</u>

71. चूंकि घरेलू उद्योग एक नए स्तर पर है, अत: यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास कर रहे हैं और क्या इन आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतों का न्यूनीकरण करना अथवा कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य अवधि में हुई होती, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री कीमत और बिक्री लागत से की है। निम्नलिखित तालिका उपर्युक्त कारकों में तुलना दर्शाती है:

विवरण	यूओएम	पीओआई
संबद्ध देशों से पहुंच मूल्य	रु./एमटी	15,867
प्रवृत्ति		100
घरेलू बिक्री कीमत	रु./एमटी	***
प्रवृत्ति		100
बिक्री कीमत रु./एमटी	रु./एमटी	***
प्रवृत्ति		100

72. उपर्युक्त से यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू बिक्री कीमत तथा बिक्री लागत, दोनों की तुलना में बहुत कम है। इस प्रकार, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग को लाभप्रद स्तरों पर अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने से रोक रही है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग की कीमतें न्यूनीकृत और ह्रासयुक्त हैं।

छ.3.2 <u>घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मानदंड</u>

73. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और तत्वों जिनका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू

कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तद्नुसार घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है:

क. <u>उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग</u>

74. उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नलिखित है:

विवरण	यूओएम	2020-21	पीओआई	अनुमानित
क्षमता(एमटी)	एमटी	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100
कुल उत्पादन (एमटी)	एमटी	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	298	326
क्षमता उपयोग वार्षिकीकृत	%	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	298	326
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	336	373

75. यह नोट किया जाता है कि:

क. क्षति की अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री जांच की अवधि में बढ़ी है क्योंकि घरेलू उद्योग ने उत्पादन शुरु किया।

ख. तथापि, घरेलू उद्योग जांच की अवधि के दौरान अपने लक्षित अनुमानों को हासिल करने में समर्थ नहीं था।

ii. <u>बाजार हिस्सा</u>

76. तथाकथित पाटित आयातों और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से की निम्नलिखित रूप में जांच की गई है:

विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	95	97
मांग में कुल घरेलू बिक्री का घरेलू उद्योग का % हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	100	330
मांग में संबद्ध देशों का % हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	94	82
मांग में अन्य देशों का % हिस्सा		***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	34	107	15

77. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध आयातों का पूरी क्षति अवधि में भारत में बाजार का काफी हिस्सा है। चूंकि आरंभिक दो वर्षों में कोई उत्पादन नहीं था, अत: संबद्ध देशों और अन्य देशों से आयात पूरी मांग की पूर्ति कर रहे थे। यहां तक कि घरेलू उद्योग के उत्पादन आरंभ करने के बाद भी संबद्ध आयातों का भारतीय बाजार में काफी हिस्सा है।

iii. **<u>लाभ, निवेश पर आय और नकद लाभ</u>**

78. चूंकि घरेलू उद्योग एक आरंभिक स्तर पर है, अत: घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय का विश्लेषण करने के लिए प्राधिकारी ने अनुमानित लाभप्रदता की तुलना जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन से की है। क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग का लाभ, निवेश पर आय और नकद लाभ निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

विवरण	यूओएम	अनुमान	पीओआई
घरेलू बिक्री मात्रा	एमटी	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90
बिक्री की कारखानागत लागत	रु./एमटी	***	***

विवरण	यूओएम	अनुमान	पीओआई
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	135
निवल बिक्री वसूली	रु./एमटी	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103
लाभ/हानि	रु./एमटी	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-57
लाभ/हानि	%	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-56
मूल्यह्रास	रु./एमटी	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96
नकद लाभ	रु./एमटी	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-43
ब्याज लागत	रु./एमटी	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111
नियोजित पूंजी	रु./एमटी	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100
नियोजित पूंजी पर आय	रु./एमटी	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-57

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता जांच की अवधि में गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग अपनी कीमतें लाभप्रद स्तर पर बढ़ाने में समर्थ नहीं था। यह भी नोट किया जाता है कि बिक्री लागत बढ़ी जबकि बिक्री कीमत अनुमोदनों के अनुसार नहीं बढ़ी है।

80. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता काफी मात्रा में प्रभावित हुई है क्योंकि उसमें अनुमानित लाभ की तुलना में हानियां हुई हैं। यहां तक कि नकद लाभ भी नकारात्मक है। घरेलू उद्योग के अनुरोध के अनुसार इस स्थिति के कारण विभिन्न स्थानों पर विस्तार योजना रोक दी गई थी।

vi. <u>मालसूची</u>

81. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2020-21	पीओआई
आरंभिक स्टॉक	एमटी	***	***
अंतिम स्टॉक	एमटी	***	***
औसत स्टॉक	एमटी	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	231

82. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची जांच की अवधि में बढ़ी है। यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग ने मालसूची इकट्ठा होने से बचने और मालसूची की वहन लागत को कम से कम करने के लिए आरंभिक वर्षों में कम क्षमता उपयोग पर अनुमान रखे हैं। तथापि, पाटित और गैर-लाभदायी आयातों के कारण घरेलू उद्योग की मालसूची जांच की अवधि में दुगुनी हो गई।

v. **<u>रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता</u>**

83. प्राधिकारी ने नीचे दिए गए अनुसार रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित सूचना की जांच की है:

विवरण	यूनिट	2020-21	पीओआई	अनुमान
कर्मचारी	सं.	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	134	134
प्रति दिन उत्पादकता	सं./एमटी	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	298	326
मजदूरी	रु./सं.	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	177

84. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि:

क. पूर्व वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में उत्पादकता बढ़ी है।

ख. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की संख्या जांच की अवधि के दौरान आंशिक रूप से बढ़ी।

vi. <u>पाटन की मात्रा</u>

85. पाटन की मात्रा उस सीमा का संकेतक है जिस सीमा तक भारत में पाटित किए जा रहे हैं और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं अथवा क्षति पहुंचाने की संभावना है। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयात भारत में पाटित कीमतों पर आ रहे हैं और पाटन की मात्रा सकारात्मक है, न्यूनतम सीमाओं से अधिक है तथा काफी भी है।

vii. <u>वृद्धि</u>

86. रिकॉर्ड से यह नोट किया जाता है कि मात्रा तथा कीमत मानदंडों में वृद्धि अनुमानों से तुलना करने के संदर्भ में बहुत कम है।

viii. <u>पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता</u>

87. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक हानियां हो रही हैं और नियोजित पूंजी पर आय भी अनुमानित सकारात्मक लाभ और आय की तुलना में काफी नकारात्मक है। इसके अतिरिक्त, बाजार हिस्सा भी काफी कम है। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग की नए पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता संबद्ध आयातों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है।

ज. कारणात्मक संपर्क और गैर-आरोपण विश्लेषण

88. प्राधिकारी ने पाटित आयातों को छोड़कर ज्ञात कारकों की जांच की और यह सुनिश्चित किया कि क्या ये साथ-साथ घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति, यदि कोई है, पाटित आयातों के कारण न हो। इस संबंध में जो कारक संगत हैं उनमें अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां तथा विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और निर्यात निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल है।

क. अन्य स्रोतों से आयात

89. संबद्ध देशों को छोड़कर अन्य स्रोतों से संबद्ध सामानों का आयात न्यूनतम से कम है।

ख. मांग में संकुचन

90. आधार वर्ष के संबंध में मांग में थोड़ी गिरावट आई है लेकिन भारत में विचाराधीन उत्पाद के लिए 2019-20 और 2020-21 की तुलना में मांग बढ़ी है। जांच के दौर में मांग बढ़ी है।

ग. खपत के पैटर्न में परिवर्तन

91. विचाराधीन उत्पाद के लिए खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अत:खपत के पैटर्न में परिवर्तनों को घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं माना जा सकता।

घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां और विदेशी तथा घरेलू उद्योग के बीच प्रतिस्पर्धा

92. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटी नहीं है जो घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान कर सके।

ड. प्रौद्योगिकी में विकास

93. संबंधित उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार, प्रौद्योगिकी में विकास को घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले कारक के रूप में नहीं माना जा सकता।

च. निर्यात निष्पादन

94. घरेलू उद्योग संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं कर रहा है। अत: हुई क्षति घरेलू प्रचालनों के कारण ही है।

छ. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए जा रहे और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन

95. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध सामानों के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। अत: उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

96. इस प्रकार, प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से पाटन किए गए आयात के कारण क्षति हुई है।

I. **<u>क्षति मार्जिन की मात्रा/कम कीमत पर बिक्री</u>**

97. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण यथा-संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर किया है। संबद्ध सामानों की क्षति रहित कीमत जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़े अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन परिकलित करने के लिए संबद्ध देशों से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए क्षति रहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षति रहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यही व्यवहार यूटिलिटियों के साथ किया गया है। क्षति अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन लागत में कोई असाधारण अथवा अनावर्ती खर्चों को नहीं लगाया जाता है। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी पर उपयुक्त आय (22 प्रतिशत की दर से कर-पूर्व) (अर्थात् औसत निवल अचल परिसंपतियां और औसत कार्यशील पूंजी) की नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित किए गए अनुसार क्षति रहित कीमत निकालने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी और वह अपनाई जा रही है।

98. उपर्युक्त निर्धारित पहुंच कीमत और क्षति रहित कीमत के आधार पर उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी द्वारा क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है और वह निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

<u>क्षति मार्जिन तालिका/कम कीमत पर बिक्री</u>

क्र.सं.	देश	विवरण	एनआईपी	एलवी	आईएम		आईएम रेंज
			अ.डा./ एमटी	अ.डा./ एमटी	अ.डा./ एमटी	%	%
1	चीन	ड्रीमब्रांड न्यू मैटिरियल्स (पिंगी) कं., (उत्पादक/निर्यातक) चीन जन.गण.	***	***	***	***	0-10
2		शिजियांगहुआंग डियान यु इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट (उत्पादक/निर्यातक) चीन जन.गण.	***	***	***	***	10-20
3		अन्य कोई	***	***	***	***	10-20
4	ओमान	ग्लोबल जिप्सम बोर्ड कं. एलएलसी (उत्पादक/निर्यातक) ओमान	***	***	***	***	20-30
5		अन्य कोई	***	***	***	***	50-60

99. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के लिए सहयोगी उत्पादकों तथा सभी संबद्ध देशों के लिए क्षति मार्जिन सकारात्मक और काफी है।

ञ. <u>भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे</u>

100. प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपाय लगाने से कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय लगाने से पाटन की परिपाटियों से प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उत्पादकों की गिरावट रुकेगी और संबद्ध सामानों के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजनों सामान्य रूप में घरेलू उद्योग को भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति स्थापित करने के लिए पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों से हो रही क्षति समाप्त करना है, जो देश के सामान्य हित में है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी नोट करते हैं

कि पाटनरोधी उपाय लगाए जाने से किसी भी तरह संबद्ध देशों से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसीलिए उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

101. प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से जनहित पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग, अन्य घरेलू उत्पादकों, आयातकों और उत्पाद के उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के हितों से संबंधित रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना की जांच की।

102. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव सहित, वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की परस्पर परिवर्तनीयता, घरेलू उद्योग की स्रोत बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से बनी नई स्थिति में समायोजन बढ़ाने वाले अथवा विलंब करने वाले कारकों के संबंध में सूचना मांगी।

103. यहां तक यद्यपि प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा बताने और यह बताने के लिए कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उन पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, एक परिपत्र निर्धारित किया था। यह नोट किया जाता है कि किसी भी प्रयोक्ता ने कोई संगत सूचना नहीं दी। घरेलू उद्योग ने दावा किया कि अंतिम उपभोक्ताओं पर शुल्कों का प्रभाव नगण्य होगा और उन्हें प्रभावित नहीं करेगा। तथापि, शुल्क लगाए जाने से संबद्ध सामानों के घरेलू उत्पादकों को स्वयं स्थापित होने के लिए वैध संरक्षण प्राप्त होगा।

<u>प्रकटन पश्चात टिप्पणियां</u>

104. प्राधिकारी ने 20.09.2023 को प्रकटन विवरण जारी किया था जिसमें जांच में विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन किया गया था और उसमें सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां मंगाई गई थीं। प्रकटन संबंधी टिप्पणियों के अधिकांश मुद्दों को पहले ही उठाया गया है

और उनका ऊपर उचित ढंग से समाधान किया गया है। अतिरिक्त अनुरोधों की संगत सीमा तक निम्नानुसार जांच की गई है:

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध:

क. ग्लोबल जिप्सम बोर्ड कंपनी एलएलसी के सामान्य मूल्य को अस्वीकार करना किसी कानूनी या वास्तविक आधार के बिना है। कंपनी ने पीयूसी की सूचना प्रदान की है जिसे प्रस्तुत विभिन्न परिशिष्टों से क्रास चेक किया जा सकता है। तथापि, गलत धारणा के आधार पर और निर्यातक को अवसर दिये बिना सूचना को अस्वीकार किया गया है। ग्लोबल जिप्सम ने पीयूसी के लिए लागत और कीमतों संबंधी समस्त आवश्यक सूचना प्रदान की थी। सामान्य मूल्य को अस्वीकार करने का निर्धारण मौके पर या डेस्क पर सत्यापन के बिना है और इसे स्पष्ट/बताने के लिए निर्यातक को अवसर नहीं देना। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है।

ख. ग्लोबल जिप्सम ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए सभी आवश्यक सूचना प्रदान की है और इसलिए प्राधिकारी उस सूचना पर उपलब्ध तथ्यों को लागू नहीं कर सकते हैं। यूएस - भारत के स्टील प्लेट मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल पर भरोसा किया गया है।

ग. प्रकटन विवरण में यह प्रकट नहीं हुआ है कि कैसे विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण के लिए एक अलग सुविधा कैसे उसकी कच्ची सामग्री "जिप्सम प्लॉस्टर बोर्ड" के विनिर्माण की मौजूदा सुविधा के साथ-साथ स्थापित की गई, यह दर्शाता है कि एक नई उत्पाद लाइन के बजाय एक नया उद्योग स्थापित किया गया है। प्रकटन विवरण में उसकी मौजूदगी बताने के बजाय प्रशासनिक कार्यों के अतिव्यापन की "मात्रा" के ब्यौरे नहीं दिये गये हैं।

घ. (1) अनुसंधान सुविधाओं का अतिव्यापन है, क्योकि याचिकाकर्ता विश्व भर में जिप्रेक्स के जरिये पीयूसी बेचता है और एक सहायक कंपनी के रूप में उत्पाद के लिए किसी शोध और अनुसंधान की जरूरत हो, कंपनी द्वारा वैश्विक रूप से पूरा किया जाता है; (2) उपभोक्ता और वितरण चैनल एक स्थापित ब्रांड के रूप में याचिकाकर्ता निविदा के जरिये और आवासीय प्रयोजनों के लिए होने वाली पीयूसी

की दोनों जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। (3) ब्रांडिंग, विपणन, उपभोक्ता, वितरण चैनल, अनुसंधान, तकनीकी आंकड़ा शीट आदि क्योंकि आवेदक ने 2018 से पहले पीयूसी प्रदान करने और नई उत्पादन के जरिये उत्पाद को बेचने के लिए निविदाओं हेतु 2018 से पहले उत्पाद को बेचने के लिए जिप्रेक्स ब्रांड नाम का प्रयोग किया है। प्रकटन विवरण में उन कारकों को नहीं बताया गया है जिनसे यह निष्कर्ष निकला कि एक अलग ग्राहक नेटवर्क और वितरण चैनल मौजूद है जो यह बता सकता है कि यह एक नया उद्योग है।

ड. उत्पादन प्रक्रिया की भिन्नता के साथ विश्व भर में भारत से सेरामिक टाइलों में शुरू की गई जांचों पर यह मानने के लिए भरोसा किया गया है कि उत्पाद को केवल लैमिनेट करने के लिए अलग सुविधा होना पीयूसी को एक नया उत्पाद नहीं बनाएगा बल्कि वह इसे केवल एक अलग प्रकार का जिप्सम उत्पाद बनाएगा।

च. एसडीएच उपकरण यथा प्रदत्त "उत्पादन" के अर्थ के अनुसार भौतिक और तकनीकी विशेषताओं, उत्पादन प्रौद्योगिकी, विनिर्माण प्रक्रिया, संयंत्र और उपकरण, कार्य और प्रयोग, उपभोक्ता की धारणा और सीमा शुल्क वर्गीकरण के रूप में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है और ये लैमिनेटेड जिप्सम बोर्ड के लिए अधिकांशत: समान रहे हैं और इसकी कच्ची सामग्री "अन-लैमिनेटेड जिप्सम बोर्ड" रही है।

छ. यद्यपि किसी परियोजना में निवेश उस उत्पाद विशेष के लिए पूंजी की आवश्यकता का एक फंक्शन होता है, ऐसा निवेश वहां भी अपेक्षित होता है जहां कंपनी कोई नई उत्पाद लाइन शुरू करती है। प्रकटन विवरण में इस बात का कोई कारण नहीं बताया गया है कि सेंट गोबेन द्वारा पीयूसी के लिए किये गये निवेश क्यों एक नई उत्पाद लाइन के बजाय एक नया उद्योग थे या क्या किये गये निवेश को "वास्तविक और पर्याप्त" के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रतिवादियों ने पाटनरोधी करार के संशोधन के लिए डब्ल्यूटीओ में प्रस्ताव पर भरोसा किया है जो "वास्तविक मंदी" और "अस्थापित उद्योगों" के अर्थ को स्पष्ट करता है।

ज. आवेदक द्वारा 50 प्रतिशत मूल्यवर्धन का दावा केवल मौखिक सुनवाई में किया गया था। लिखित में नहीं दिया गया। अत: प्राधिकारी द्वारा नियमावली के नियम

6(6) के अनुसार इस सूचना पर विचार नहीं किया जा सकता है। प्रकटन विवरण में यह जांच करते समय विचार की गई सूचना का सार्थक विश्लेषण नहीं दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने पर्याप्त मूल्यवर्धन किया है। मूल्यवर्धन का अर्थ समुद्री के मूल्य में परिवर्तन है। प्रतिवादी दृढ़ता से मानते हैं कि कथित मूल्यवर्धन खरीदी गई कच्ची सामग्री के वर्धन के दावे के रूप में किया गया है। प्रतिवादी मजबूती से मानते हैं कि याचिकाकर्ता ने मूल्यवर्धन निर्धारित करने के लिए जिप्सम पाउडर पर विचार किया है। सीपीवीसी के मामले में जांच परिणामों पर भरोसा किया गया है जिसमें रेजिन और यौगिक को एनआईपी में भारी अंतर के बावजूद समान उत्पाद के रूप में माना गया था।

झ. आयातों का हिस्सा सेंट गोबेन के पक्ष में घट रहा है जिससे एकाधिकार और परिणामी शोषण के कीमत निर्धारण का जोखिम है। कीमत में पीओआई के बाद की वृद्धि इसका एक संकेत है।

ञ. प्रकटन विवरण में यथा प्रस्तावित क्षति मार्जिन जहां तक अवशिष्ट मार्जिन का संबंध है, असंभव है। इस प्रकार क्षति मार्जिन की गणनाओं में कोई न कोई त्रुटि है।

ट. आवेदक ने यह दावा करना जारी रखा है कि एशियाटिक जिप्सम और फोरलाइन जिप्लम प्राइवेट लिमिटेड ने अस्थायी रूप से उत्पादन बंद कर दिया है। प्रतिवादियों को जानकारी नहीं है कि क्या "इस सूचना" को रिकार्ड में रखा गया और प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है क्योंकि प्रकटन विवरण में इस संबंध में, कोई उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में जिसे रिकार्ड में रखा गया है, को प्राधिकारी उसे शेयर करने का अनुरोध करते हैं और उस पर टिप्पणी करने अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

ठ. यह अनुरोध है कि पाटनरोधी शुल्क को केवल एक स्थिर राशि पाटनरोधी शुल्क (शुल्क का स्थिर रूप) के रूप में पाटनरोधी शुल्क यूस डॉलर में / एमटी शुल्क के रूप में लगाया जाए। शुल्क का बेंचमार्क रूप अनुचित होगा, क्योंकि मालभाड़ा पहुंच कीमत का एक बड़ा हिस्सा है जो कोविड के दौरान असाधारण रूप से अधिक था। रिकार्ड में उत्तर यह दर्शाएगा कि सामान्य मालभाड़ा लागत 30-40 अमरीकी डॉलर

/ एमटी है जबकि पीओआई के दौरान औसत मालभाड़ा लागत 120 अमेरिकी डॉलर / एमटी थी। इसे अवितरित कीमत (भाड़े के कारण विकृति) ज्ञात करने के लिए निर्यात कीमत से घटाना चाहिए। विनमय दर उतार-चढ़ाव के कारण मूल्य के अनुसार शुल्क निष्प्रभावी होगा।

ड. भारत ने शुरुआत से पहले आशय पत्र जारी न करके पाटनरोधी समझौता के अनुच्छेद 5.5 की आवश्यकताओं का उल्लंघन किया है।

ढ. भारतीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल जांच के तहत उत्पाद पर ही शुल्क लगेगा, किसी अन्य उत्पाद पर नहीं। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात का उपयोग केवल विश्लेषण उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए।

ण. प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणी करने के लिए प्रदान किया गया समय बहुत कम है। इसके अलावा, यह सीमित अवधि इच्छुक पार्टियों को अपने विचार व्यापक रूप से प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं करती है और विविध दृष्टिकोणों के प्रतिनिधित्व में बाधा उत्पन्न कर सकती है।

त. ओमान से आयात न्यूनतम हो गया है और इसके अलावा, ओमान के निर्यातकों ने भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात बंद कर दिया है। इसलिए, घरेलू उद्योग को कोई भी चोट चीन के कारण है।

थ. ओमान के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण पाटनरोधी समझौता के अनुच्छेद 2.2 के साथ असंगत है। इस मामले में, ओमान सरकार ने प्राधिकरण से ओमान के भीतर बिक्री मूल्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए सामान्य मूल्य को समायोजित करने के लिए उपयोग किए गए डेटा और गणना का खुलासा करने का अनुरोध किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इन संशोधनों का उद्देश्य ओमान के लिए सामान्य मूल्य में वृद्धि करना नहीं है।

द. प्राधिकरण को यह निष्कर्ष निकालने से पहले कि घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है, बाजार की स्थितियों और अन्य घरेलू उत्पादकों की उपस्थिति की पूरी तरह से जांच

करनी चाहिए थी। इसके अलावा, प्राधिकरण को यह जांचना चाहिए कि क्या आवेदक उद्योग का उत्पादन 50% या उससे कम है। इसके अलावा, डीजीटीआर ने यह भी जांच नहीं की है कि घरेलू उद्योग द्वारा/या उसकी ओर से किया गया आवेदन उत्पादकों के एक महत्वपूर्ण प्रतिशत द्वारा समर्थित है या नहीं।

ध. सादे जिप्सम बोर्ड और पीयूसी दोनों का उपयोग छत के अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है और उस सीमा तक समान कार्य करते हैं। भले ही लेमिनेटेड बोर्ड को व्यावसायिक सुविधाओं पर अधिक पसंद किया जाता है जबकि सादे बोर्ड को आवासीय या औद्योगिक छत पर अधिक पसंद किया जाता है, लेकिन यह इस तथ्य को नहीं बदलता है कि दोनों के कार्य और उपयोग समान हैं।

न. अनुरोध है कि प्राधिकरण स्पष्ट करे कि खनिज फाइबर ध्वनि अवशोषण शीट या खनिज फाइबर बोर्ड वर्तमान जांच में पीयूसी का हिस्सा नहीं हैं। इस तरह का स्पष्टीकरण आवश्यक है क्योंकि खनिज फाइबर ध्वनि अवशोषण शीट और पीयूसी में एक सामान्य एचएस वर्गीकरण कोड होता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि, दोनों उत्पादों में अलग-अलग कच्चे माल, अलग-अलग उत्पाद खंड, अलग-अलग बाजार मांग और यहां तक कि उपयोगकर्ताओं द्वारा दोनों उत्पादों का उपयोग करने का उद्देश्य भी अलग-अलग है।

घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध:

105. घरेलू उद्योग द्वारा निम्निलखित अनुरोध किये गये हैं:

क. यह कि निर्यातकों ने प्राधिकारी को भी महत्वपूर्ण सूचना नहीं दी है और इसके बावजूद प्राधिकारी ने उनके उत्तर को अस्वीकृत करने के बजाय उन्हें अलग शुल्क प्रदान करके पुरस्कृत करने का प्रस्ताव करते हैं। इसके अलावा, अनिवार्य सूचना पर गोपनीयता ने घरेलू उद्योग को उस पर टिप्पणी करने और सही निष्कर्ष पर पहुंचने में प्राधिकारी की मदद करने के अधिकार से वंचित कर दिया है। घरेलू उद्योग से

अपने उत्तर को पूरा करने के संबंध में निर्यातकों के साथ समस्त पत्राचार की प्रतियां देने का अनुरोध भी किया गया है।

ख. यह कि अधूरे उत्तर को स्वीकार करने से एक बहुत ही खराब और अकार्यशील पूर्व उदाहरण बनेगा जिसमें निर्यातक यह निर्णय लेंगे कि कौनसी सूचना दी जाए और कौन सी नहीं दी जाए। इसके अलावा, प्राधिकारी को अन्य मामलों में जो उनके सामने आते हैं, इस वर्तमान मामले में अपनाई गई नीति का पालन करना काफी मुश्किल होगा। अत: निर्यातकों के उत्तरों को अस्वीकृत किया जाना चाहिए।

ग. यह कि जीजीबीसी द्वारा दायर उत्तर को प्राधिकारी को स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि वे सामान्य मूल्य की गणना के लिए अपेक्षित सूचना देने में विफल रहे हैं। यह विशेष रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि निर्यातक ने जानबूझकर लागत निर्धारण की सूचना प्रदान नहीं की है, क्योंकि वे एसक्यूएम से एमटी में वास्तविक परिवर्तन अनुपात को छिपाना चाहते हैं और उस वास्तविक कीमत को भी छिपाना चाहते हैं, जिस पर वे प्रमुख कच्ची सामग्री अर्थात अपरिष्कृत जिप्सम को खरीद रहे हैं। यह भी अनुरोध किया गया है कि प्राधिकारी ने थाईलैंड से बसों और लोरियों के लिए रबड़ के नये न्यूमेटिक रेडियल टायरों, ट्यूब या/फ्लैप सहित अथवा रहित के मामले में सामान्य मूल्य से संबंधित सूचना प्रस्तुत नहीं करने पर थाईलैंड के निर्यातकों को अस्वीकृत कर दिया था।

घ. ड्रीम ब्रांड न्यू मैटेरियल्स (पिंग्यी) कंपनी लिमिटेड और शिजियाहुआंग डियान यू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण. (उत्पादक और निर्यातक) ने विहत प्रपत्रों के अनुसार सूचना प्रदान नहीं की है। चूंकि चीन से निर्यातकों ने प्राधिकारी से किसी छूट की मांग भी नहीं की है। इसलिए प्राधिकारी की परिपाटी के अनुसार उनके उत्तर को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, इस स्वीकृति से गड़बड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि निर्यातक उस सूचना का चयन करेंगे जो उनके लिये सर्वाधिक उपयुक्त हो।

ड. *दोहरी कीमतों की मौजूदगी और वे कैसे सामान्य मूल्य गणनाओं को प्रभावित कर रहीं हैं,* के संबंध में, प्रकटन विवरण के पैरा 34 में प्राधिकारी की संमुक्ति के संबंध

में यह अनुरोध किया जाता है कि एक घरेलू उद्योग ने प्रथमदृष्ट्या प्रशासित कीमतों का साक्ष्य (अपरिष्कृत जिप्सम की न्यूनतम निर्यात कीमत 12.5 अमेरिकी डॉलर / एमटी है) प्रस्तुत किया है। इसलिए उसका खंडन करने का दायित्व ओमान की सरकार और निर्यातक का होगा। हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार न तो ओमान की सरकार और न ही वहां के निर्यातकों ने संगत सूचना देने का कष्ट किया है। इसके अलावा, जीजीबीसी से पूर्ण सहयोग के अभाव में प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के खंडन नहीं किये गये दावों को स्वीकार करना चाहिए था और 12.5 अमेरिकी डालर / एमटी जिप्सम के रूप में जिप्सम की कीमत पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य परिकलित करना चाहिए था। यह अनुरोध घरेलू उद्योग के उस अनुरोध के प्रति पक्षपात के बिना है कि ओमान से निर्यातक के प्रश्नावली के पूरे उत्तर को अस्वीकार किया जाए।

च. किसी नये उद्योग से नये उत्पाद के मुद्दे के संबंध में यह अनुरोध किया जाता है कि प्रतिवादी पक्षकार यह समझने में असमर्थ रहे हैं कि यह नया उत्पाद कब अस्तित्व में आया है। "नये उत्पाद" या "विनिर्माण" शब्द को पाटनरोधी कानूनों में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(ख) "घरेलू उद्योग" शब्द को परिभाषित करते समय ऐसे घरेलू उत्पादकों का उल्लेख करता है जो समान उत्पाद के "विनिर्माण" में शामिल हैं। यह नोट करना संगत है कि "विनिर्माण" शब्द को नियमावली में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि उन्हें पूरी जानकारी है कि किसी अन्य संविधी की परिभाषा को दूसरी संविधी में वस्तुत: नहीं लिया जा सकता है। पाटनरोधी कानून के प्रयोजनार्थ समान सिद्धांतों को अपनाना सर्वाधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि पाटनरोधी कानूनों में परिभाषा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 2(च) की परिभाषा के समान है। दोनों कानूनों में "विनिर्माण" की परिभाषा समावेशी परिभाषा है जिसमें शब्द को वास्तव में परिभाषित नहीं किया गया है। इस प्रकार यह तथ्य कि क्या नया उत्पाद उभरा है या नहीं। इसे उपलब्ध न्यायशास्त्र के संदर्भ में निर्धारित करना होगा। घरेलू

उद्योग द्वारा किये गये कार्यकलाप माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधारणा के अवयवों के पूर्णत: अनुक्रम में हैं।

छ. "अतिव्यापन" के मापदंड के संबंध में यह अनुरोध किया गया है कि संबद्ध वस्तु के उत्पादन में कथित "अतिव्यापन" न्यूनतम है जो अतिरिक्त, विपणन आदि के कारण आई लागतों तक सीमित है। इसके अलावा, कोई एक मशीन भी नहीं है जो संबद्ध वस्तु और उसकी कच्ची सामग्री के उत्पादन में समान रहती हो।

ज. सुविधाओं, विपणन और वितरण चैनल तथा उपभोक्ता संपर्क और मानव संसाधन विभाग के अतिव्यापन के संबंध में यह दोहराया जाता है कि ऐसा अतिव्यापन संगत नहीं है और इससे घरेलू उद्योग को वास्तविक मंदी के दावे से इंकार नहीं किया जा सकता है।

झ. मूल्यवर्धन मापदंड के संबंध में घरेलू उद्योग ने बताया कि मूल्यवर्धन को केवल एक सीमित प्रयोजन के लिए शामिल किया गया है और इस सिद्धांत या संख्यात्मक मापदंड को किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग करने का कोई अवसर नहीं होगा। इसी कारणवश प्राधिकारी ने इस मापदंड का कभी भी प्रयोग नहीं किया है जो वास्तविक मंदी के विशलेषण के प्रयोजनार्थ बिल्कुल अलग है।

ञ. यह अनुरोध किया गया है कि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन न केवल सकारात्मक है, बल्कि पर्याप्त भी हैं। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से आयातों के कारण क्षति हो रही है।

ट. अनुरोध है कि संबद्ध देशों और अन्य देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा की दोबारा जांच की जाए। उनकी याचिका के अनुसार और प्राधिकरण द्वारा प्रकटीकरण विवरण में उपयोग किए गए आयात डेटा के बीच आयात मात्रा में अंतर है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

106. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकतर अनुरोध पुरावृति के हैं और उन्हें यहां ऊपर पहले ही हल कर दिया गया है । हितबद्ध पक्षकारों द्वारा

किए गए अनुरोध जहां तक संगत हैं और कहीं अन्यत्र हल नहीं किए गए हैं, उनकी जांच नीचे की गई है :

क. जहां तक एडीए के अनुच्छेद 5.5 के उल्लंघन के अनुरोध का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि डी जी टी आर ने जांच की शुरूआत के पूर्व आवेदन पत्र की प्रापित के संबंध संबंध में ओमान के दूतावास को विधिवत सूचित किया है । अत: एडीए के अनुच्छेद 5.5 का कोई उल्लंघन नहीं है ।

ख. जहां तक शुल्कों के लागू होने का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि केवल विचाराधीन उत्पाद पाटनरोधी शुल्कों के अध्यधीन होगा, जिसमें एचएस वर्गीकरण पर ध्यान नहीं दिया जाएगा । इसी प्रकार गैर संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगेगा, यदि वे विचाराधीन उत्पद के एच एस कोड के तहत आ रहे हैं।

ग. प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां करने के लिए दिए गए समय के संबंध में प्राधिकारी ने नोट किया है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने किसी समय विस्तार का अनुरोध नहीं किया था ।

घ. ओमान से आयात डी जी टी आर के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम से अधिक हैं । इसके अतिरिक्त जहां तक ओमान से संबद्ध सामानों के निर्यात को रोकने का संबंध है, यह सिद्ध करने के लिए कोई आंकड़े/साक्ष्य/शपथ पत्र दायर नहीं किया गया है कि ओमान से संबद्ध सामानों का कोई निर्यात नहीं होगा और इसीलिए उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

ड. जहां तक ओमान से सामान्य मूल्य संबंधी सूचना के प्रकटन का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि चूंकि ओमान के निर्यातक ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में पूरी सूचना नहीं दी है, अत: प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य से संबंधित सूचना को रद्द किया है और उपलब्ध तथ्य लागू किए हैं ।

च. जहां तक जांच के प्रयोजन के लिए आवेदक का पात्र घरेलू उद्योग होने के संबंध में ओमान सरकार के तर्क का संबंध है, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के आधार और

उसे हुई क्षति पर अंतिम जांच परिणाम के उपयुक्त खंडों में पर्याप्त रूप से कार्यवाही की है ।

छ. इस दलील के संबंध में कि ग्लोबल जिप्सम बोर्ड कंपनी एलएलसी के सामान्य मूल्य की अस्वीकृति बिना किसी कानूनी आधार के है, और घरेलू उद्योग द्वारा उद्धृत कई मामलों में, प्राधिकरण नोट करता है कि सामान्य मूल्य और निर्यात कीमतें पिछले मामलों में निर्धारित की गई हैं। एंटी-डंपिंग नियमों और एंटी-डंपिंग पर समझौते के अनुसार प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखें। इस विशेष मामले में भी, प्राधिकरण ने निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी की जांच की है, और उन्हें प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया है जो उनके जवाब में प्रदान नहीं की गई थी, प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, तथ्यों की जांच करने के बाद, प्राधिकरण इस पर विचार करता है। उचित है कि निर्यात मूल्य के संबंध में कंपनी द्वारा दी गई जानकारी पर विचार किया जा सकता है जबकि कंपनी द्वारा सामान्य मूल्य के संबंध में दी गई जानकारी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए सामान्य मूल्य स्वीकार करने का निर्यातक का तर्क खारिज किया जाता है। प्राधिकरण का मानना है कि यह दोनों पक्षों द्वारा सामने रखे गए परस्पर विरोधी दावों को संतुलन प्रदान करता है।

ज. दोहरे कीमत निर्धारण और विशेष बाजार स्थिति के मुद्दे के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि संगत अनुरोधों पर इस जांच परिणाम के उपयुक्त खंडों में पहले ही कार्यवाही कर दी गई है ।

झ. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि निर्यातकों ने अत्यधिक गोपनीयता के संबंध में पूरी सूचना नहीं दी है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन मुद्दों पर इस जांच अपरिणाम के उपयुक्त खंडों में पहले ही कार्रवाई कर दी गई है । चूंकि भारत को निर्यातों से संबंधित सूचना पूर्ण है और प्राधिकारी द्वारा सत्यापित है, अत: प्राधिकारी ने व्यक्तिगत मार्जिन के प्रयोजन के लिए उनकी निर्यात कीमत स्वीकार की है ।

ञ. परिवर्तन मानदंडों और निर्यात कीमत की तुलना में उच्चतर पहुंच मूल्य के संबंध में यह अनुरोध है कि जांच की अवधि के दौरान समुद्री भाड़ा सामान्य स्थिति की तुलना में काफी अधिक था । इस उच्चतर भाड़े के परिणामस्वरूप उच्चतर पहुंच

मूल्य बना । इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने आंकड़ों का सत्यापन किया है और केवल सत्यापित आंकड़ों का इस जांच के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया गया है । अत: किसी पक्षकार के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा।

ट. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि प्रकटन विवरण गलत ढंग से यह निर्धारित करता है कि विचाराधीन उत्पाद एक नया उत्पाद और नया उद्योग है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों के दावों पर जांच परिणाम में उपयुक्त स्थान पर विस्तार से कार्रवाई की जाती है । इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने जांच प्रक्रिया के दौरान यह सिद्ध किया है कि संबद्ध सामान नए उद्योग के सभी मानदंड पूरे करते हैं और यह कि उद्योग की स्थापना को पाटित और क्षति कारक आयातों के कारण वास्तविक रूप से मंदी हुई है ।

ठ. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध का संबंध है कि काफी मूल्य अभिवृद्धि के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे असिद्ध रहते हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने घरेलू उद्योग के लागत और अन्य ब्यौरों का पहले ही सत्यापन किया है जो उन दावों को सिद्ध करते हैं । प्राधिकारी द्वारा यह भी नोट किया जाता है कि निर्यातकों ने केवल मूल्य अभिवृद्धि प्रतिशत का आरोप लगाया है । तथापि, उनमें से किसी ने भी मूल्य अभिवृद्धि के अपने दावे को सिद्ध करने के लिए पूरी लागत संबंधी सूचना नहीं दी है । दूसरी ओर घरेलू उद्योग द्वारा अपने आवेदन पत्र में पूरी लागत संबंधी सूचना दायर की गई थी और प्राधिकारी द्वारा उस पर निष्कर्ष निकालते समय विचार किया गया है ।

ड. जांच की अवधि के बाद विचाराधीन उत्पाद की कीमत में वृद्धि से संबंधित तर्क के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह दावा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों में पहली बार किया गया है । इसके अतिरिक्त, प्रकटन पश्चात टिप्पणियों में दिए गए आंकड़ों का स्रोत हितबद्ध पक्षकारों को नहीं दिया गया है । यह विचार करते हुए कि अनुरोध देरी से किया गया है और यह कि आवेदक इस तर्क का खंडन करने के लिए मौका नहीं पाएगा, प्राधिकारी इस तर्क को स्वीकार करने की स्थिति में

नहीं हैं क्योंकि यह जांच को उचित रखने के लिए प्राधिकारी के प्रयासों के विरूद्ध जाएगा ।

ढ. जहां तक असहयोगी निर्यातकों की आयात मात्रा और क्षति मार्जिन से संबंधित अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी ने आवश्यक समझी गई सीमा तक संगत परिकलनों की पुन: जांच की है और अंतिम जांच परिणामों पर आवश्यक समायोजन करने के बाद ही पहुंचे हैं ।

ण. जहां तक आवेदक के आधार से संबंधित तर्क का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संगत अनुरोधों पर इस जांच परिणाम में उपयुक्त स्थान पर पहले ही कार्रवाई कर दी गई है ।

त. जहां तक शुल्क का निर्धारित रूप लगाए जाने के अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकार के तर्क को स्वीकार करते हैं और वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के माध्यम से शुलक के निर्धारित रूप की सिफारिश कर रहे हैं ।

निष्कर्ष एवं सिफारिशें

107. उठाए गए तर्कों, किए गए अनुरोधों, दी गई सूचना और ऊपर रिकॉर्ड किए गए अनुसार प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा घरेलू उद्योग को पाटन और परिणामी क्षति के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि :

क. विचाराधीन उत्पाद सामान्य मूल्य से कम कीमत पर भारतमें निर्यात किया गया है जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ ।

ख. संबद्ध सामानों के पाटन से भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक रूप में मंदी हुई है । संबद्ध आयातों और घरेलू उेद्योग के निष्पादन की जांच स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि संबद्ध आयातों की मात्रा पूर्ण रूप से और संबद्ध दृष्टि से भारत में वाणिज्यक उत्पादन शुरू होने के बाद भी अधिक रही है। आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की वास्तविक और लक्ष्य कीमतों से कम हैं जिससे कीमत न्यूनीकरण हुआ है । वर्तमान कीमतों पर घरेलू उद्योग अपना लक्ष्य निष्पादन हासिल नहीं कर पाएगा ।घरेलू उद्योग उस सीमा तक

उत्पाद का उत्पादन करने में समर्थ नहीं रहा है जिस सीमा तक वह कर सकता था । इसके अतिरिक्त, देश में उत्पाद के लिए काफी मांग के बावजूद घरेलू उद्योग अपने उत्पादन की सीमित मात्रा तक भी बिक्री करने में सक्षम नहीं रहा है और उसने अंतिम मालसूचियों में काफी वृद्धि देखी है । घरेलू उद्योग को काफी वित्तीय हानियां और निवेश पर नकारात्मक आय हो रही है।

ग. भारत में घरेलू उेद्योग की स्थापना का वास्तविक मंदी संबद्ध देशों से संबद्ध पाटित आयातों के कारण है ।

घ. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि पाटनरोधी शुल्क न लगाए जाने से स्वदेशी उत्पादन पर प्रतिकूल रूप से और वास्तविक रूप से प्रभाव पड़ेगा । दूसरी ओर उपभोक्ताओं अथवा निचले स्तर के उद्योग अथवा कुल मिलाकर जनता पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का कोई वास्तविक प्रभाव नहीं होगा ।

ड. हितबद्ध पक्षकार द्वारा दी गई सूचना और की गई जांच के आधार पर प्राधिकारी का यह मत है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित के विरूद्ध नहीं होगा।

108. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए घरेलू उद्योग, निर्यातक, आयातक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था । पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में जांच शुरू करने और जांच करने पर प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और पाटन को दूर करने और परिणामी क्षति को समाप्त करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आवश्यक है । प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।

109. अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त की जा सके । तदनुसार, प्राधिकारी 5 वर्ष की अवधि के

लिए विषयगत देशों में उत्पन्न होने वाले या वहां से निर्यात किए गए विषयगत वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है। प्राधिकारी केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क निम्नलिखित शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर लगाए जाने की सिफारिश करते हैं । इस प्रयोजन के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमाशुल्क द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार और सीमा प्रशुल्क नियम 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9, 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्कों के लागू स्तर पर निर्धारणीय मूल्य होगा।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष	विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	68069000/ 68080000/ 68091100/ 68091900/ 68099000/ 70195900/ 73083000	कम से कम एक ओर से लेमिनेशन वाले जिप्सम बोर्ड/टाइलें	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	ड्रीम ब्रांड न्यू मेटीरियल्स (पिंगयी) कं. लिमिटेड	23.46	मी.ट.	अम.डॉ.
2	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	शिजियाहुआंग डीयान यु इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लिमिटेड	35.68	मी.ट.	अम.डॉ.
3	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित अन्य देश	उपरोक्त क्र.सं. (1) से(2)में उल्लिखित उत्पादकों को छोड़कर कोई अन्य उत्पादक	47.62	मी.ट.	अम.डॉ.

4	-वही-	-वही-	संबद्ध देश के अलावा अन्य कोई देश	चीन जन.गण.	कोई भी	47.62	मी.ट.	अम.डॉ.
5	-वही-	-वही-	ओमान	ओमान	ग्लोबल जिप्सम बोर्ड कंपनी एलएलसी	71.80	मी.ट.	अम.डॉ.
6	-वही-	-वही-	ओमान	ओमान सहित कोई देश	उपरोक्त क्र.सं. 5 में उल्लिखित उत्पादकों को छोड़कर कोई अन्य उत्पादक	91.42	मी.ट.	अम.डॉ.
7	-वही-	-वही-	संबद्ध देश के अलावा अन्य कोई देश	ओमान	कोई भी	91.42	मी.ट.	अम.डॉ.

आगे की प्रक्रिया

110. इन अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिशों के विरूद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी ।

अनन्त स्वरूप
निर्दिष्ट प्राधिकारी